[1990] 4 उम० नि० प० 933

हुंदराज कन्हैया लाल सजनानी

बनाम

भारत संघ और अन्य

और

एस० रामचंदानी और एक अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

16 मार्च, 1990

मुख्य न्यायमूर्ति सव्यसाची मुखर्जी, न्यायमूर्ति बी० सी० रे, ललित मोहन शर्मा, पी० बी० सावंत और के० रामस्वामी

आय-कर अधिकारी (वर्ग 1) सेवा (ज्येष्ठता का विनियमन) नियम, 1973—नियम 3—(सपठित आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 116, 117 तथा 118 और संविधान का अनुच्छेद 303 और 311)—विधिमान्यता—आय-कर अधिकारियों की भर्ती—पूर्ववर्ती मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश की गई सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकालने पर कि सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए कोटा कम हो गया था, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशानुसार विरचित नियम—प्रस्तुत याचिका में यह अभिकथन करते हुए कि यह दर्शित करने वाली प्रतिकूल सामग्री कि प्रोन्नत व्यक्ति अपने कोटे से कम थे, सरकार द्वारा पेश नहीं की गई थी—तथापि याचियों द्वारा अपने अभिकथन का समर्थन न करते हुए सामग्री पेश करना—ऐसी स्थिति में 1973 के ज्येष्ठता नियम विधिमान्य रूप से विरचित किए गए थे।

आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)—धारा 116, 117 और 118—आय-कर अधिकारियों का विभिन्न ग्रेडों में वर्गीकरण—विधानमंडल असंशोधित तथा 1987 के संशोधित उपबंधों के अधीन ऐसा वर्गीकरण करने के लिए सक्षम था।

आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)—धारा 116, 117 तथा 118 [सपठित संविधान का अनुच्छेद 14, 16 तथा 39 (घ)]—आय-कर अधिकारियों के दो वर्गों में वर्गीकरण विधिमान्य नहीं है क्योंकि अंतर स्वयं कानून के आधार पर है।

प्रस्तुत रिट याचिकाएं याचियों ने प्रोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के मध्य नियत किए गए कोटे के आधार पर की गई प्रोन्नतियों और तत्संबंधी नियत ज्येष्ठता तथा आय-कर अधिकारियों का ग्रुप-क और ग्रुप-ख में किए गए वर्गीकरण को आक्षेपित करते हुए ज्येष्ठता नियमावली को अपास्त करने के लिए तथा उक्त वर्गीकरण को अवैध ठहराने के लिए उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन फाइल की। उच्चतम न्यायालय ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—प्रथमतः स्वयं याचियों द्वारा तैयार किए गए चार्ट से यह दर्शित है कि यह निष्कर्ष कि प्रोन्नत व्यक्तियों की नियुक्ति उनके कोटे से अधिक की गई थी जो उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रथम गुप्ता वाले मामले में निकाला गया सही है और वर्तमान याचिका के उनके पक्षकथन के आधार को ही ध्वस्त करता है अर्थात्, यह कि नई पता चली सामग्री से यह दर्शित है कि न केवल उनकी नियुक्ति उनके कोटे से अधिक की गई थी, अपितु वास्तव में वे कम थीं। द्वितीयतः, यह धारणा करते हुए कि सुसंगत अवधि के दौरान सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की उनकी संख्या सही है (क्योंकिज हां तक यह बात है कि उन्होंने कभी यह दलील नहीं दी थी कि सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की नियुक्ति उनके कोटे से अधिक की गई थी और, इसलिए प्रत्यर्थियों को इसे पूरा करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ था), यह केवल प्रथम गुप्ता वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के इस निष्कर्ष को ही सशक्त बनाता है कि कोटा नियम भंग हो गया था। कोटा-नियम उस समय ध्वस्त नहीं होता है जब मात्र एक स्रोत से नियुक्तियां अननुपातिक रूप में कम या अधिक होती हैं। (पैरा 25)

अतः यह स्पष्ट है कि सरकार ने भी बहुत पहले 1986 में स्वतंत्र रूप में यह निष्कर्ष निकाला था कि न तो ज्येष्ठता नियमों से और न ही 1973 की ज्येष्ठता सूची से प्रोन्नत व्यक्तियों के साथ कोई अन्याय हुआ था। वास्तव में, 1973 के नियमों द्वारा प्रोन्नत व्यक्तियों का कोटा 33-1/3 प्रतिशत से 50 प्रतिशत बढ़ा दिया गया था। प्रोन्नत व्यक्तियों की ज्येष्ठता पूर्ववर्ती कोटा नियम और उन व्यक्तियों की ज्येष्ठता के आधार पर, जिनकी नियुक्ति बाद में की गई थी, 15 जनवरी, 1959 तक समायोजित की गई थी और उस तारीख को अपने कोटे से अधिक पाए गए थे नए नियमों के अनुसार समायोजित किया गया था। (पैरा 29)

न्यायालय इस दलील से प्रभावित नहीं है। प्रथमतः इस दलील में अंतर्निहित उपधारणा यह है कि 1987 के संशोधन अधिनियम द्वारा अधिनियम के संशोधन से पूर्व इसके उपबंध ऐसे वर्गीकरण को अनुज्ञात नहीं करते थे और यह उपधारणा पूर्णतः गलत है। जबकि धारा 117 की उपधारा (1) के संशोधन से पूर्व इसके उपबंधों में अन्य बातों के अलावा वर्ग-1 सेवा के आय-कर अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति केंद्रीय सरकार को दी गई थी, इसकी उपधारा (2) के उपबंधों में वर्ग-2 सेवा के उतने आय-कर अधिकारियों की, जितने केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर किए जाएं, नियुक्ति करने की शक्ति आयुक्त में निहित थी। तथापि, यह दलील दी गई कि असंशोधित धारा 177 की उपधारा (1) और (2) के इन स्पष्ट उपबंधों के होते हुए भी, इन्हें वर्ग 2 या ग्रुप-ख के आय-कर अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति से वंचित करने के अर्थ में समझा जाना चाहिए था। याचियों के अनुसार ऐसा इस कारण था कि तत्समय विद्यमान धारा 116, 118 और 124 के उपबंधों में आय-कर अधिकारियों को मात्र एक वर्ग के रूप में निर्दिष्ट किया गया था और इनमें उनके मध्य वर्ग-1 और वर्ग-2 के अधिकारियों के रूप में भेद नहीं किया गया है। प्रथमतः कानूनों के निर्वचन का यह प्रारंभिक नियम है कि किसी कानून के किसी उपबंध को अनावश्यक नहीं समझा जाना चाहिए। याचियों द्वारा इसके सिवाय कि अधिनियम के अन्य उपबंधों में इसमें उल्लिखित अधिकारियों के दो वर्गों के प्रति निर्देश नहीं किया गया था। विनिर्दिष्ट उपबंधों की अवज्ञा

1990(3) eILR(PAT) SC 24

धारा 117 (1) और (2) करने का कोई कारण आरोपित नहीं किया गया है। द्वितीयतः, जब विधानमंडल ने दो भिन्न प्राधिकारियों में दोनों वर्गों के अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति निहित करते हुए विशेष उपबंध किया है तो यह उपधारणा की जानी चाहिए कि विधानमंडल के सामने एक निश्चित उद्देश्य था। वर्ग-2 के आयकर अधिकारियों के लिए उपबंध करते समय यह प्रतीत है कि विधानमंडल इस तथ्य से अवगत था कि निर्धारितियों के विभिन्न प्रवर्ग और इनसे निपटने के लिए उपस्कर, कौशल और प्रतिभा के विभिन्न मानकों के लिए अपेक्षित विभिन्न निर्धारण हो सकते हैं और, इसलिए केंद्रीय सरकार में अपेक्षा को पूरा करने के लिए विभिन्न वर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति करने और उनकी नियुक्ति मंजूर करने की शक्ति निहित करना आवश्यक था। विधानमंडल द्वारा विभिन्न वर्गों के अधिकारियों की नियुक्ति करने की निहित इस शक्ति के साथ दोनों वर्गों के अधिकारियों के कर्तव्य, कृत्य और उत्तरदायित्वों को अभ्यंकित करने की शक्ति भी निहित थी। क्या वास्तव में शक्तियों कृत्यों और उत्तरदायित्वों को ऐसा विभाजन या नहीं वर्गीकरण करने की शक्ति की विधिमान्यता से इसका कोई संबंध नहीं है। यदि ऐसे वर्गीकरण के बावजूद भी, वास्तव में विभिन्न वर्ग समरूप शक्तियों का प्रयोग करते थे और समरूप कर्तव्य और कृत्यों को संपादित करते थे, तो वर्गीकरण उत्पादित किया जाने योग्य है। किंतु इससे वर्गीकरण करने की शक्ति को अविधिमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। अतएव, न्यायालय इस दलील से प्रभावित नहीं हैं कि विधानमंडल को अधिनियम के असंशोधित उपबंधों के अधीन आय-कर अधिकारियों को दो वर्गों में वर्गीकृत करने की किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं थी। (पैरा 35)

अतः यदि विधानमंडल ने स्वयं अधिकारियों को दो ग्रेडों या प्रवर्गों में वर्गीकृत कर दिया और सरकार को अधिनियम के असंशोधित उपबंधों के अधीन, यथास्थिति उनकी नियुक्ति करने, और/अथवा उनकी नियुक्तियां मंजूर करने की शक्ति दी थी, तो यह दलील नहीं दी जा सकती है कि संशोधन अधिनियम प्रस्तुत याचिकाओं में के वाद हेतुक को समाप्त करने के लिए असद्‌भाविक रूप में पारित किया गया था। वह इस तथ्य के अलावा है कि किसी भी विधान को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी कि वह असद्‌भाविक है। अतएव अधिनियम के असंशोधित उपबंधों और इसके अनुसरण में जारी किए गए नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों और आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। आगे यह भी सुझाव नहीं दिया गया कि नियम, अधिसूचनाएं, परिपत्र, आदेश आदि अधिनियम के अधिकारातीत हैं। अतएव, इस चुनौती में कोई सार नहीं है। (पैरा 36)

यद्यपि ग्रुप-क और ग्रुप-ख दोनों के अधिकारी समान शक्ति रखते हैं, ग्रुप-क के आय-कर अधिकारी सामान्यतः उच्चतर उत्तरदायित्व करने से संबंधित महत्वपूर्ण बार्डों और मामलों के प्रभारी होते हैं, जबकि ग्रुप-ख के अधिकारियों को साधारणतः कम महत्वपूर्ण बार्डों और मामले सौंपे जाते हैं। इनमें से काफी बड़ी संख्या में अधिकारियों को मात्र संक्षिप्त निर्धारण ही करने पड़ते हैं। आगे यह भी बताया गया कि अधिनियम के अधीन, 1987 के इसके संशोधन से पूर्व, ग्रुप-क से संबंधित अधिकारियों, अर्थात् वर्ग-1 के अधिकारियों की नियुक्ति करने से संबंधित नियुक्ति करने की शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित थी जबकि ग्रुप-ख, अर्थात्, वर्ग-2 के अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति आय-कर आयुक्त में निहित थी। नियुक्ति प्राधिकारियों में यही भेद संशोधन के पश्चात् भी बना रहा। सहायक आयुक्त अर्थात् ग्रुप-क के भूतपूर्व आय-कर अधिकारियों की

1990(3) eILR(PAT) SC 24

नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है जबकि आय-कर अधिकारियों, अर्थात्, भूतपूर्व ग्रुप-ख के अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा बोर्ड में या महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या निदेशक या आयुक्त में निहित की जा सकती है। प्रत्यर्थियों ने आगे इस बाबत भी इनकार किया कि कभी दोनों पदों को अदल-बदल किया था और उन्होंने यह दलील दी कि वे सदैव पृथक रहे। उनका कहना है कि वास्तव में, ग्रुप-क के अधिकारियों के पद के दो ग्रेड हैं अर्थात्, ग्रेड-1 और ग्रेड-2 ग्रुप-क के ग्रेड-2, सदैव ग्रुप-ख के अधिकारियों के लिए प्रोन्नति के पद रहे हैं। उनके वेतनमान भी भिन्न रहे हैं और उन्हें उन दोनों ग्रुपों के मध्य के अंतर को देखते हुए जो दो भिन्न काडरों से संबंधित हैं, नियत किए गए हैं। (पैरा 38)

इस प्रकार, प्रत्यर्थियों द्वारा अभिलेख पर पेश की गई सामग्री से यह दर्शित है कि ग्रुप-क और ग्रुप-ख अधिकारियों के मध्य अंतर प्रारंभ से ही विद्यमान है। इस अंतर को भिन्न शक्तियों और अधिकारिता, पदानुक्रम संबंधी स्थिति और पात्रता अर्हताओं द्वारा बनाए रखा गया है। उन्हें नियुक्त करने की शक्ति से निहित उनकी नियुक्ति और प्राधिकार के स्रोत भी भिन्न रहे हैं। आगे इन दोनों के मध्य अंतर प्रत्येक को सौंपे गए कार्य के वर्ग और उत्तरदायित्व के आधार पर किया गया है। वह कार्य जो अधिकांशतः नेमी प्रकृति का है और जिसमें या तो निर्धारितियों के वर्ग या फाइल की गई विवरणियों की जटिलताओं के कारण व्यापक अन्वेषण अंतर्वलित है ग्रुप-क से संबंधित अधिकारियों (जब सहायक आयुक्तों) को सौंपा जाता है जबकि संक्षिप्त या नेमी प्रकृति या साधारण संव्यवहारों से अंतर्ग्रस्त निर्धारिती द्वारा नेमी विवरणी या विवरणी फाइल करने का निर्धारण कार्य ग्रुप-ख से संबंधित अधिकारियों (अब आय-कर अधिकारियों) को सौंपा जाता है। अतः यद्यपि प्रकटतः कृत्य का बाह्य रूप और इसका प्रक्रिया संबंधी भाग समरूप है, व्यवहार में निर्धारण एक निर्धारिती से दूसरे निर्धारिती के मामले में भिन्न होता है जिसके लिए उनकी संवीक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के ज्ञान, मस्तिष्क प्रयोग, उपाय कौशल, कुशाग्रबुद्धि और प्रतिभा की आवश्यकता है। अतएव, मात्र इस कारण कि कार्य की अत्यावश्यकताओं के कारण कभी-कभी ग्रुप-ख से संबंधित अधिकारियों को ग्रुप-क के अधिकारियों का कार्य सौंपा जाता है, तो यह दावा नहीं किया जा सकता है कि दोनों पद समान रैंक के हैं। उच्चतर प्रवर्ग का कार्य करने वाला निम्नतर रैंक का अधिकारी उच्चतर पद की परिलब्धियों का हकदार हो सकता है। किंतु इससे दोनों पदों के मध्य का अंतर समाप्त नहीं हो सकता है। दोनों पदों को समान बनाने या इस कारण उनका विलय करने की याचियों की दलील को स्वीकार करना संपूर्ण कानूनी स्कीम को नामंजूर करना और इस तथ्य की अवज्ञा करना है कि ग्रुप-ख का पद (अर्थात् आय-कर अधिकारी का वर्तमान पद) आय-कर निरीक्षक और ग्रुप-क पद (अर्थात् सहायक आयुक्त का वर्तमान पद) जो कि ग्रुप-ख से संबंधित अधिकारियों के लिए प्रोन्नति संबंधी पद है, के मध्य का मध्यस्थ पद है। आगे ग्रुप-क पद एक चयन पद है और प्रोन्नत व्यक्ति को उक्त पद के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र होने हेतु कतिपय अर्हताओं का समाधान करना पड़ता है। अतः, दोनों पद दो भिन्न काडरों से संबंधित हैं जिनके वेतनमान और अन्य सेवा की शर्तें भी भिन्न हैं। इस प्रकार यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें दोनों पद समान हैसियत के हैं या दोनों पद एक ही वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों के मध्य अंतर कानून द्वारा आदिष्ट है और इसके उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। अंतर्वलित प्रवर्तन की प्रकृति के कारण ही, प्रशासन को कार्य वर्गीकृत करने और विभिन्न प्रकार का कार्य निष्पादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल और प्रतिभा

के कर्मी नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। विधान-मंडल ने इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर अधिकारियों के दो वर्ग सर्जित किए जैसा कि धारा 117 के वर्तमान संशोधन से पूर्व इसके उपबंधों से स्पष्ट है। संशोधन के पश्चात् भी उक्त अंतर बना रहा। यह तथ्य कि यह अंतर सदैव वास्तविक रहा है और नाममात्र नहीं है अधिकारियों के दोनों वर्गों में कानूनी रूप में निहित शक्ति और अधिकारिता के अंतर से स्पष्ट है। अतएव, विधानमंडल का विभिन्न प्रकार के कार्य का निर्वहन करने का आशय प्रकट है और व्यवहार में यह अंतर सदैव बनाए रखा गया है। केवल तभी जब कार्य की अत्यावश्यकताओं के लिए यह अपेक्षित था कि ग्रुप-ख से संबधित कुछ अधिकारियों को तदर्थ आधार पर ग्रुप-क के अधिकारियों के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया था। ऐसी अत्यावश्यकताएं प्रत्येक संगठन में घटित होती हैं और इनसे निपटने के लिए प्राधिकारियों को तात्कालिक प्रबंध करने पड़ते हैं। तथापि, इससे दो असमान पदों को समान नहीं बनाया जा सकता है। (पैरा 41)

प्रस्तुत मामले में दोनों पदों के मध्य अंतर स्वयं कानून द्वारा किया गया है और यह अंतर काफी समय से विद्यमान है। दोनों पदों के नियुक्ति प्राधिकारी भिन्न हैं। वास्तव में, ग्रुप-क पद (सहायक आयुक्तों के वर्तमान पद) के दो ग्रेड हैं अर्थात्, ग्रेड-1 और ग्रेड-2 और ग्रेड-2 का पद ग्रुप-ख (वर्तमान आय-कर अधिकारी) से संबंधित अधिकारियों के लिए प्रोन्नति संबंधी पद था। दोनों वर्गों के पदों को सौंपे गए कार्य की प्रकृति और उत्तरदायित्व जो इनसे जुड़ा है और इनमें निहित अधिकारिता भिन्न-भिन्न हैं। मात्र यह तथ्य कि कुछ ग्रुप-ख अधिकारी ग्रुप-क के अधिकारियों का कार्य करने के लिए सक्षम हैं और वास्तव में कुछ अवसरों पर विगत में उनकी नियुक्ति ग्रुप-क अधिकारियों के कार्य का निर्वहन करने के लिए तदर्थ की गई थी अथवा अन्यथा दोनों पदों को समकक्ष नहीं बनाया जा सकता है। ऐसी मांग, कम से कम, अयुक्तिसंगत है क्योंकि यदि इस दलील को स्वीकार कर लिया जाता है, तो किसी भी संगठन में पदों के अनुक्रम को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। आगे, 1987 के संशोधन के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन हुआ है और दोनों प्रकार के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र को स्पष्टतः अभ्यंकित करते हुए उनके कर्तव्य, कृत्य, अधिकारिता और शक्तियों को युक्तिसंगत बना दिया गया है। इस प्रकार के संगठन में संपूर्ण देश में कार्यालयों के निर्धारितियों और आय के विभिन्न प्रवर्गों से निपटने के लिए किसी कालावधि के दौरान कुछ अस्त-व्यस्तता, कार्य करने संबंधी अतिव्याप्ति और कार्य समनुदेशन में एकरूपता का अभाव अप्रत्याशित नहीं है और यह प्रकट है कि कुछ कालावधि के दौरान विभाग में स्थिति अस्त-व्यस्त रही। इसीलिए अधिनियम में संशोधन करके और नियम बनाकर तथा सुसंगत अधिसूचनाएं, परिपत्र और आदेश जारी करके स्थिति सुधारने के लिए क़दम उठाए गए। यदि इस कालावधि के दौरान सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण ग्रुप-ख अधिकारियों की कुछ तदर्थ नियुक्तियां ग्रुप-क के पदों पर की गई, तो ग्रेड-2 या ग्रुप-ख अधिकारियों से ग्रुप-क अधिकारियों के समरूप कृत्य करने और समरूप कार्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती थी, तो ग्रुप-क के अधिकारियों की परिलब्धियों के लिए ठीक ही दावा कर सकते हैं किंतु वे निश्चित रूप में इस कारण दोनों पदों के समकरण के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। (पैरा 44)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1989]	(1989) 3 एस० सी० सी० 191 :	
	बी० मार्कंडेय और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य;	43
[1988]	(1988) 3 एस० सी० सी० 91 :	
	फेडरेशन आफ आल इंडिया कसटम्स एंड सेंट्रल एक्साइज स्टेनोग्राफर्स (मान्यताप्राप्त) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य;	43
[1981]	[1981] 2 उम० नि० प० 405=[1980] 3 एस० सी० आर० 811 :	
	कमलकांति दत्त और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य;	9, 10
[1974]	[1974] 2 उम० नि० प० 1128=[1975] सप्ली० एस० सी० आर० 491 :	
	बिशन स्वरूप गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य;	1, 8, 15 16, 17, 22, 25, 26, 27, 30
[1967]	[1967] 2 एस० सी० आर० 703 :	
	एस० जी० जयसिंघानी बनाम भारत संघ और अन्य;	5, 28
[1962]	ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 1139 :	
	के० एम० बक्शी बनाम भारत संघ.	38, 42

आरंभिक सिविल अधिकारिता : 1978 की रिट याचिका सं० 4146 (इसके साथ ही 1983 की रिट याचिका स० 546-47 की भी सुनवाई की गई ।)

संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट याचिका ।

उपस्थित पक्षकारों की ओर से सर्वश्री राजेन्द्र सच्चर, गोविंद दास, टी० एस० कृष्णमूर्ति अय्यर, ए० के० सांघी, रवीन्द्र बाणा, आर० बी० मिश्र, कुमारी ए० सुभाषिणी, श्री विशंभर लाल और कुमारी गीतांजली मोहन

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति पी० बी० सावंत ने दिया ।

न्या० सावंत—इन तीनों रिट याचिकाओं में एक से ही विवाद्यक उठाए गए हैं, अतएव इनका निपटारा इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है ।

1978 की रिट याचिका संख्या 4146

यह याचिका 1973 के ज्येष्ठता नियमों को इस आधार पर चुनौती देने की ईप्सा करते हुए आय-कर अधिकारी ग्रुप-क के प्रोन्नत व्यक्तियों द्वारा फाइल की गई है कि वे इस न्यायालय द्वारा तारीख 16 अगस्त, 1972 को विनिश्चित **बिशन स्वरूप गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य** वाले मामले में दिए गए निदेश के अनुसार विरचित किए गए थे। याचियों के अनुसार, उक्त निदेश पर्याप्त सामग्री के अभाव के कारण दिया गया था, इसलिए न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला था, कि सीधी भर्ती वाले और प्रोन्नत व्यक्तियों की भर्ती का कोटा कम हो गया था क्योंकि प्रोन्नत व्यक्तियों की नियुक्ति कोटा में उनके हक के आधिक्य में की गई थी। याचियों के अनुसार, प्रतिकूल दर्शित करने वाली अपेक्षित सामग्री सरकार के कब्जे में थी किंतु इसे तब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त सामग्री से यह दर्शित होता है कि वास्तव में प्रोन्नत व्यक्तियों की नियुक्तियां उनके कोटे से कम थीं। अतः, याचियों ने यह दावा किया है कि न केवल 1973 की ज्येष्ठता नियमों को अपास्त किया जाना चाहिए अपितु प्रोन्नत व्यक्तियों की नियुक्तियां उक्त नियमों से पूर्व विद्यमान नियमों के अनुसार की जाएं और उनकी ज्येष्ठता नियत की जाए।

2. याचिका के निपटारे के लिए आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं—

सरकार ने अपने तारीख 29 सितंबर, 1944 के पत्र में प्रतिपादित नियमों के अनुसार, विद्यमान आय-कर सेवा के वर्ग 1 और वर्ग 2 का पुनर्गठन किया। इन नियमों में अन्य बातों के अलावा यह अधिकथित है कि आय-कर अधिकारी, ग्रुप-क के काडर के लिए भर्ती दो स्रोतों अर्थात् सीधी भर्ती और प्रोन्नति दोनों के क्रमशः 80 प्रतिशत-20 प्रतिशत के कोटा के आधार पर होगी। 1945 में सरकार ने वर्ग-1 और वर्ग 2 के आय-कर अधिकारियों के उक्त काडर के लिए नए भर्ती नियम विरचित किए। उक्त नियमों के नियम 3 में यह दोहराया गया है कि उक्त काडर के लिए भर्ती दो स्रोतों अर्थात् सीधी भर्ती और प्रोन्नति से होगी। तथापि, उक्त नियमों के नियम 4 में यह उपबंधित है कि उक्त स्रोतों से भर्ती सरकार के विवेकाधिकार के अनुसार की जाएगी। इस उपबंध का वास्तविक प्रभाव 29 सितंबर, 1944 के भर्ती नियमों में अधिकथित सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के भर्ती कोटा को स्थगित रखना था। तारीख 9 सितंबर, 1949 को सरकार ने ज्येष्ठता नियम विरचित किए। इसके नियम 1 (एफ) (iii) में यह उपबंधित है कि वे प्रोन्नत व्यक्ति जिन्हें परिसंघीय लोक सेवा आयोग ने किसी कलैंडर वर्ष में प्रमाणित कर दिया था उन सभी सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे जिन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि उस वर्ष के दौरान या उसके पश्चात् पूरी की और जिनकी उस वर्ष में या उसके पश्चात् उस तारीख से पुष्टि की गई। तारीख 1 जनवरी, 1950 को ज्येष्ठता नियमों में संशोधन किया गया और पूर्वोक्त नियम 1 (एफ) (iii) को इस प्रकार संशोधित किया गया—

*"(च) परिसंघीय लोक सेवा आयोग द्वारा 1944 में, और पश्चात्वर्ती वर्षों

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"(f) The seniority of direct recruits recruited on the results of the

---

[1] [1974] 2 उम० नि० प० 1128=[1975] सप्ली० एस० सी० आर० 491.

में आयोजित परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर भर्ती किए गए सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की ज्येष्ठता की गणना इस प्रकार की जाएगी—

(i) पूर्ववर्ती परीक्षा के सीधी भर्ती वाले व्यक्ति पश्चात्वर्ती परीक्षा से भर्ती किए गए व्यक्तियों से रैंक में ऊपर होंगे।

(ii) किसी एक परीक्षा के सीधी भर्ती वाले व्यक्ति रैंक में परस्पर उस परीक्षा में उनके द्वारा अभिप्राप्त किए गए रैंक के अनुसार होंगे।

(iii) वे प्रोन्नत व्यक्ति जिन्हें आयोग द्वारा किसी कलैंडर वर्ष में प्रमाणित कर दिया गया है उन सभी सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे जो उस वर्ष के दौरान या उसके पश्चात् अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी करते हैं और जिनकी पुष्टि उस वर्ष में या उसके पश्चात् उस तारीख से की जाए :

परंतु यह कि ऐसे व्यक्ति को जिसे आरंभतः वर्ग 2 आय-कर अधिकारी के रूप में भर्ती किया गया था किंतु परिसंघीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर वर्ग-1 के लिए नियुक्त किया गया, यदि उसने वर्ग-1 की सेवा के लिए अपनी नियुक्ति से पूर्व आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ प्रोन्नत व्यक्ति समझा जाएगा।"

3. तारीख 18 अक्तूबर, 1951 के अपने पत्र द्वारा सरकार ने सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के कोटे में (जो 29 सितंबर, 1944 के उनके पत्र में पहले अधिकथित था) 80 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से 66-2/3 प्रतिशत और 33-1/3

---

examinations held by the Federal Public Service Commission in 1944, and subsequent years, shall be reckoned as follows—

(i) Direct recruits of an earlier examination shall rank above those recruited from subsequent examination.

(ii) Direct recruits of any one examination shall rank interse in accordance with the ranks obtained by them at that examination.

(iii) The promotees who have been certified by the Commission in any calender year shall be senior to all direct recruits who complete their probation during that year or after and are confirmed with effect from a date in that year or after:

Provided that a person initially recruited as class II Income Tax officer, but sudsequently appointed to class I on the results of a competitive examination conducted by the Federal Public Service Commission shall, if he has passed the departmental examination held before his appointment to class I service, be deemed to be promotee for the purpose of seniority."

प्रतिशत का संशोधन किया। 5 सितंबर, 1952 को सरकार ने आगे 24 जनवरी, 1950 के ज्येष्ठता नियम 1 (एफ) (iii) में भी इस प्रकार संशोधन किया—

*"(च). परिसंघीय लोक सेवा आयोग द्वारा 1944 में, और पश्चात्वर्ती वर्षों में आयोजित परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर भर्ती किए गए सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की ज्येष्ठता की गणना इस प्रकार की जाएगी—

(i) पूर्ववर्ती परीक्षा के सीधी भर्ती वाले व्यक्ति पश्चात्वर्ती परीक्षा से भर्ती किए गए व्यक्तियों से रैंक में ऊपर होंगे।

(iii) किसी एक परीक्षा के सीधी भर्ती वाले व्यक्ति रैंक में परस्पर उस परीक्षा में उनके द्वारा अभिप्राप्त किए गए रैंक के अनुसार होंगे।

(iii) अगली विभागीय प्रोन्नति समिति से पूर्व विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश के अनुसार प्रोन्नत किए गए अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर नियुक्त किए गए सीधी भर्ती वाले सभी व्यक्तियों से उस कलैंडर वर्ष जिसमें विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक हुई और पूर्व तीन वर्षों के दौरान ज्येष्ठ होंगे।"

अतः यह स्पष्ट है कि इस संशोधन से, अन्य बातों के साथ-साथ प्रोन्नत व्यक्ति को ज्येष्ठता में तीन वर्ष की रियायत दी। ये नियम 1959 तक प्रवर्तन में रहे।

4. यह प्रतीत होता है कि 1959 और 1960 के मध्य लगभग 114 पद आय-कर अधिकारी ग्रुप-क के रूप में उन्नत किए गए, और प्रोन्नत व्यक्ति सुसंगत कालावधि के दौरान, उक्त पदों के लिए नियुक्त किए गए।

5. किसी जयसिंघानी नामक सीधी भर्ती वाले व्यक्ति ने पंजाब उच्च न्यायालय के

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"(f). The seniority of direct recruits recruited on the results of the examinations held by the Federal Public Service Commission in 2944, and subsequent years, shall be reckoned as follows—

(i) Direct recruits of an earlier examination shall rank above those recruited from a subsequent examination.

(ii) direct recruits of any one examination shall rank inter se in accordance with the ranks obtained by them at that examination.

(iii) Officers promoted in accordance with the recommendation of the Departmental Promotion Committee before the next meeting of the Departmental Promotion Committee shall be senior to all direct recruits appointed on the results of the examinations held by the Union Public Service Commission during the calendar year in which the Departmental Promotion Committee met and the three previous years."

1990(3) eILR(PAT) SC 24

समक्ष रिट याचिका फाइल करके 1952 के ज्येष्ठता नियमों के ज्येष्ठता नियम 1 (एक) (iii) की सांविधानिक विधिमान्यता को चुनौती दी जिसमें वास्तव में प्रोन्नत व्यक्तियों को उनकी ज्येष्ठता के नियतन, और सरकार द्वारा कोटा के अनुचित कार्यान्वयन के मामले में भी तीन वर्ष की रियायत दी गई थी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी और उक्त विनिश्चय के विरुद्ध फाइल की गई अपील में इस न्यायालय ने अपने **एस० जी० जयसिंघानी बनाम भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में के अपने विनिश्चय में यह अभिनिर्धारित किया कि सरकार ने 1945 के भर्ती नियमों के नियम 4 के अधीन उसे दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए 15 अक्तूबर, 1951 के अपने पत्र द्वारा कोटा नियत किया और इसलिए यह विधिमान्य और उचित था। न्यायालय ने 1952 के ज्येष्ठता नियमों के अधीन प्रोन्नत व्यक्तियों को दी गई रियायत की अभिपुष्टि की। तथापि इस न्यायालय ने यह भी निदेश किया कि भावी वर्षों के लिए सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के मध्य कोटे का परीक्षण करने के लिए समुचित नियम विरचित करके रोस्टर प्रणाली अपनाई जानी चाहिए और यह कि उस व्यवस्था को उपदर्शित करते हुए जिसमें सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों की भर्ती के प्रत्येक स्रोत्र के लिए कानूनी नियमों के अधीन नियत किए गए प्रतिशत के अनुसार नियुक्तियां की जाती हैं एक रोस्टर प्रणाली रखी जाए। न्यायालय ने ये निदेश इसलिए दिए कि न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रोन्नत व्यक्ति 1951 से 1956 और उससे आगे के प्रत्येक वर्ष के लिए विहित कोटे से अधिक थे और यह कि उन्हें इस प्रकार अवैध रूप से प्रोन्नत किया गया था। न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी जयसिंघानी प्रत्यर्थियों को अपीलार्थी और उस जैसे समस्थानी अन्य अधिकारियों को ज्येष्ठता समायोजित करने और 1951 से 1956 और उससे आगे की अवधि के लिए 18 अक्तूबर, 1951 के सरकारी पत्र में विहित कोटा नियम के अनुसार भर्ती का समायोजन करने के पश्चात् विधि के अनुसार नई ज्येष्ठता सूची तैयार करने के लिए आदेश देने से संबंधित रिट के हकदार थे। तथापि, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उक्त आदेश ऐसे वर्ग-2 के अधिकारियों को प्रभावित नहीं करेगा जिनकी नियुक्ति स्थायी रूप में सहायक आय-कर आयुक्तों के रूप में की गई थी।

6. न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार, सरकार ने 15 जुलाई, 1968 को ज्येष्ठता सूची तैयार की। इस ज्येष्ठता सूची को अलग-अलग दो रिट याचिकाओं में, जिनमें एक 1962 के प्रोन्नत किसी बी० एस० गुप्त द्वारा और दूसरी सीधी भर्ती वाले किसी एम० सी० जोशी द्वारा फाइल की गई थी, दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने 29 जुलाई, 1970 के विनिश्चय द्वारा गुप्त की याचिका खारिज कर दी किंतु जोशी की याचिका सारवान रूप में मंजूर कर ली और नई ज्येष्ठता सूची तैयार करने के निदेश दिए। दोनों याचिकाओं में के विनिश्चय के विरुद्ध गुप्त ने दो अलग-अलग सिविल अपीलें फाइल कीं। उक्त अपीलों में तारीख 16 अगस्त, 1972 के अपने विनिश्चय द्वारा उपर्युक्त बी० एस० गुप्त वाले मामले में जो संक्षेप में प्रथम गुप्त मामले के रूप में ज्ञात है, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ज्येष्ठता सूची 15 जनवरी, 1959 तक की गई प्रोन्नतियों से संबंधित विधिमान्य थी क्योंकि इसे 18 अक्तूबर, 1951 के

[1] [1967] 2 एस० सी० आर० 703.

1990(3) eILR(PAT) SC 24

कोटा नियम और 1952 के ज्येष्ठता नियमों के नियम 1 (एफ) (iii) के आधार पर तैयार किया गया था। तथापि, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त सूची इसके पश्चात् की कालावधि के लिए विधिमान्य नहीं होगी। अतएव, न्यायालय ने उक्त सूची को उस रूप में अपास्त कर दिया जहां तक इसका संबंध 16 जनवरी, 1959 से आगे की कालावधि का था और विभाग को निर्णय में की गई मताभिव्यक्तियों के प्रकाश में नई ज्येष्ठता सूची तैयार करने के लिए निदेश किया। न्यायालय ने यह भी निदेश किया कि 15 जनवरी, 1959 से ज्येष्ठता सूची सरकार द्वारा नए सिरे से विरचित ज्येष्ठता नियम के अनुसार तैयार की जानी चाहिए। न्यायालय ने यह भी मताभिव्यक्ति की कि कार्यवाहियां उस समय तक स्थगित रखी जानी चाहिए जब तक कि ऐसी ज्येष्ठता सूची तैयार करके न्यायालय के समक्ष फाइल न कर दी जाए। यहां यह कहना आवश्यक है कि न्यायालय ने उक्त निदेश इसलिए दिया था कि उसने यह निष्कर्ष निकाला कि काफी संख्या में पदों के उन्नत किए जाने और प्रोन्नत व्यक्तियों की नियुक्तियां उन पर किए जाने से कोटा नियम टूट गया था और इससे ज्येष्ठता नियम भी प्रोन्नत व्यक्तियों को रियायत दिए जाने के कारण टूट गया था। 100 पद उन्नत करने का विनिश्चय जनवरी, 1959 में और शेष 114 पदों की बाबत विनिश्चय 1960 में किया गया था। अतः, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कोटा नियम 16 जनवरी, 1959 को उस समय समाप्त हो गया जब 100 अस्थाई पद उन्नत करने की मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा दी गई और इसके साथ ही ज्येष्ठता नियम जाता रहा।

7. उपरोक्त निदेश के अनुसरण में, सरकार ने 1973 के आक्षेपित ज्येष्ठता नियम विरचित किए और 15 जनवरी, 1959 से उक्त नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देते हुए 9 फरवरी, 1973 को एक नई ज्येष्ठता सूची तैयार की। 1973 की ज्येष्ठता नियमों का सारांश यह था कि 16 जनवरी, 1959 के और इससे नियुक्त किए गए सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों की ज्येष्ठता इस प्रकार नियत की जाएगी : पहले प्रोन्नत व्यक्ति तत्पश्चात् सीधी भर्ती वाले व्यक्ति और आगे इसी प्रकार। इन नियमों का परिणाम यह हुआ कि न केवल ज्येष्ठता नियम अपितु सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के कोटा में भी 66-2/3 प्रतिशत और 33-1/3 प्रतिशत से 50 प्रतिशत और 50 प्रतिशत अथवा 1 : 1 का परिवर्तन हो गया। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि नई ज्येष्ठता सूची पुराने ज्येष्ठता नियमों के अनुसार 15 जनवरी, 1959 तक और नए नियमों के आधार पर 16 जनवरी, 1959 से ज्येष्ठता नियत करके तैयार की गई थी। तथापि, 73 प्रोन्नत व्यक्तियों को, जिन्हें 1956-58 के मध्य उनके कोटे के आधिक्य में प्रोन्नत किया गया था, 15 जनवरी, 1959 तक तैयार की गई ज्येष्ठता सूची में, पूर्ववर्ती कोटा नियमों के अनुसार स्थान नहीं दिया जा सकता था और, इसलिए, उक्त 73 प्रोन्नत व्यक्तियों की ज्येष्ठता उन नए ज्येष्ठता नियमों के अनुसार नियत की गई जो 16 जनवरी, 1959 से की गई नियुक्तियों को लागू होते थे। पूर्ववर्ती निदेशानुसार नए नियम और नई ज्येष्ठता सूची दोनों इस न्यायालय में फाइल किए गए।

8. उसी श्री बी० एस० गुप्ता ने 1973 के नए ज्येष्ठता नियम और नई ज्येष्ठता सूची दोनों की विधिमान्यता को चुनौती दी। इस न्यायालय ने बिशन स्वरूप गुप्ता और

1990(3) eILR(PAT) SC 24

अन्य बनाम भारत संघ और अन्य[1] वाले मामले में, जिसे द्वितीय गुप्ता वाले मामले के रूप में जाना जाता है, अपने 16 अप्रैल, 1974 के विनिश्चय द्वारा ज्येष्ठता नियम और ज्येष्ठता सूची दोनों की अभिपुष्टि की।

9. आगे यह भी प्रकट है कि किसी कमल कांति दत्त और अन्य लोगों ने भी 9 फरवरी, 1973 की ज्येष्ठता सूची को चुनौती देते हुए एक स्वतंत्र रिट याचिका फाइल की। इसे **कमल कांति दत्त और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा उक्त ज्येष्ठता सूची की विधिमान्यता की अभिपुष्टि करते हुए तारीख 23 अप्रैल, 1980 के अपने विनिश्चय द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त रिट याचिका का निपटारा करते हुए, इस न्यायालय ने ये मताभिव्यक्तियां की जिनका वर्तमान याचियों द्वारा सशक्त रूप में अवलंब लिया गया—

> "इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमने अपने विनिश्चयों पर पुनर्विचार करने से इनकार किया है ऐसा केवल विद्वान् महासालिसिटर द्वारा उद्धृत विभिन्न मामलों, जैसे सज्जन सिंह **बनाम** राजस्थान राज्य [(1965) 1 एस० सी० आर० 933] के मामले में अपनाए गए इस मत की दृष्टि से ही किया है कि इस न्यायालय को बहुत ही सरलता से अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन नहीं करना चाहिए बल्कि गुणागुण के आधार पर हम इस न्यायालय द्वारा पहले दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए कोई औचित्य नहीं पाते हैं। हमारे ध्यान में किसी नवीन और महत्वपूर्ण साक्ष्य की खोज के रूप में कोई ऐसे नवीन तथ्य नहीं लाए गए हैं जो प्रतियोगी दलीलों की बहुत ही सावधानीपूर्वक परीक्षा करने के पश्चात् इस न्यायालय द्वारा पहले किए गए विनिश्चयों के पुनर्विचार को न्यायोचित ठहराते हों। जैसा पहले उपदर्शित किया जा चुका है पिटीशनों से संबंधित राज्य सीमा समिति की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि सुसंगत फाइलें अभी भी उपलभ्य नहीं हैं।"

यह निर्णय बहुमत द्वारा दिया गया था जिसमें न्यायमूर्ति डी० ए० देसाई ने विसम्मत निर्णय दिया। चूंकि यहां प्रस्तुत याची भी विसम्मत निर्णय में की गई कुछ मताभिव्यक्तियों का अवलंब ले रहे हैं, हम इन्हें यहां पुनः प्रस्तुत करते हैं—

> "अब पेश की गई सामग्री विशेषकर उन फाइलों के प्रकाश में जो न्यायालय और समिति के समक्ष पेश नहीं की गई थीं, एकमात्र विचार जो मैं अभिव्यक्त करता हूं वह यह है कि इन विनिश्चयों पर पुनर्विचार करने के लिए सशक्त मामला बनाने हेतु पर्याप्त रूप में अकाट्य और आवश्यक सामग्री अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।"

पूर्वोक्त मताभिव्यक्तियों में निर्दिष्ट समिति राज्य सभा की याचिका समिति है।

10. प्रस्तुत याचिका भी उपर्युक्त **कमल कांति दत्त**[2] वाले मामले की रिट याचिका के साथ गलत रूप में खारिज कर दी गई थी। इसे 9 सितंबर, 1980 को सुनवाई के लिए प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

---

[1] [1974] 2 उम० नि० प० 1128=[1975] सप्ली० एस० सी० आर० 491.

[2] [1981] 2 उम० नि० प० 405=[1980] 3 एस० सी० आर० 811.

1990(3) eILR(PAT) SC 24

11. 28 जुलाई, 1982 को अधीनस्थ विधायन से संबंधित संसदीय समिति ने अपनी 12वीं रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें उसने वित्त राज्य मंत्री के 4 फरवरी, 1976 के पत्र के प्रति निर्देश किया। समिति ने यह कहा कि 1973 के ज्येष्ठता नियम अऋजु थे और इसलिए उन्हें 15 जनवरी, 1959 से रद्द कर दिया जाना चाहिए और यह कि नए साम्यापूर्ण ज्येष्ठता नियम विरचित किए जाने चाहिए। समिति ने यह सिफारिश की कि आय-कर अधिकारी ग्रुप-क और ग्रुप-ख के मध्य कृत्रिम विभेद उत्सादित किया जाना चाहिए क्योंकि वे समरूप कृत्य कर रहे थे और अंतर्बदल पदों पर कार्य कर रहे थे। समिति ने 15 जनवरी, 1959 से प्रोन्नत व्यक्तियों को ज्येष्ठता में वैसी ही रियायत देने की सिफारिश की जो उन्हें उस तारीख से पूर्व उपलब्ध थी। समिति ने आगे 1973 के ज्येष्ठता नियमों के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में ग्रुप-ख सेवा में अभूतपूर्व प्रगतिरोध के कारण ग्रुप-ख से ग्रुप-क में प्रोन्नति के कोटे में वृद्धि की सिफारिश की। इससे यह प्रकट नहीं है कि इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था। हम समिति की इन सिफारिशों के प्रति इसलिए निर्देश कर रहे हैं कि याचियों ने इनके प्रति निर्देश किया है, इस कारण नहीं कि वे विधिक रूप में आबद्धकर हैं।

12. तत्पश्चात्, 16 फरवरी, 1983 को संलग्न रिट याचिकाएं, अर्थात् 1983 की संख्या 546-47 (i) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 117 की विधिमान्यता, (ii) आय-कर अधिकारियों का ग्रुप-क और ग्रुप-ख के अधिकारियों में वर्गीकरण, (iii) 1973 के ज्येष्ठता नियम और (iv) उनके आधार पर तैयार की गई ज्येष्ठता सूची को चुनौती देते हुए फाइल की गई थीं। उक्त याचिकाओं में दावाकृत अंतिम दोनों अनुतोष वर्तमान याचिका में सामान्य हैं और इसलिए इनका निपटारा वर्तमान मामले में के निर्णय के साथ किया जाएगा। पहले दोनों अनुतोषों और इसके आनुषंगिक दावाकृत अनुतोषों पर अलग से विचार किया जाएगा।

13. आगे यह टिप्पण करना आवश्यक है कि संलग्न याचिकाओं को मंजूर करते हुए, न्यायालय ने निम्न आदेश पारित किया था—

> "इस विनिर्दिष्ट शर्त के अध्यधीन कि याचियों को विगत में आय-कर अधिकारियों के काडर में किए गए वर्गीकरण के साथ-साथ सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के मध्य की उस परस्पर ज्येष्ठता पर पुनर्विचार करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसकी एस० सी० जयसिंघानी, बी० एस० गुप्ता और के० के० दत्त वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों द्वारा अभिपुष्टि की गई थी, प्रारंभिक आदेश इस प्रश्न तक ही सीमित था कि क्या आय-कर अधिकारियों का आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 117 के अधीन ग्रुप-क और ग्रुप-ख में वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का अतिक्रमणकारी है। यदि इस विवाद्यक का उत्तर सकारात्मक दिया जाता है, तो याचीगण याचिका में के निर्णय की तारीख से विनिश्चयों के भावी कार्यान्वयन के लिए अनुतोष, यदि किसी प्रकार का मंजूर किया जाता है, के हकदार होंगे। इस आदेश में ऐसी कोई भी दलील प्रवारित नहीं होगी जो गुणागुण के आधार पर परीक्षा किए जाने के लिए रिट याचिका संख्या 41416/78 अर्थात् एच० के० सजनानी बनाम भारत संघ और अन्य वाले मामले में उठाया जा सकता है और उठाया जाए।"

14. 3 मई, 1983 को इस न्यायालय ने वर्तमान और संलग्न दोनों रिट याचिकाओं सिविल प्रकीर्ण याचिका संख्या 13200 और 6762 में एक आदेश पारित किया जो इस प्रकार है—

"सिविल प्रकीर्ण याचिका संख्या 6762/83 से संबंधित प्रथम निवेदन को मंजूर करते हुए हम यह निदेश देते हैं कि रिट याचिका संख्या 4146/78 के साथ रिट याचिका संख्या 546-47/83 की सुनवाई की जाए और यह कि रिट याचिका संख्या 546-47/83 में उठाए गए ज्येष्ठता नियम 1973 की विधिमान्यता को चुनौती देने को संबंधित आधार रिट याचिका संख्या 4146/78 में उठाने के लिए अनुज्ञात किया जाए जहां तक सिविल प्रकीर्ण याचिका के तृतीय निवेदन का संबंध है, हम सरकार को अधीनस्थ विधायन से संबंधित समिति की सिफारिश और सरकार द्वारा इस पर किए गए विनिश्चय और अन्य उपायों की परीक्षा के परिणाम से संबंधित 15 जुलाई, 1983 से पूर्व इस न्यायालय के समक्ष एक कथन फाइल करने का निदेश देते हैं।"

15. 27 फरवरी, 1985 को न्यायालय ने सरकार को प्रस्तुत रिट याचिका की 1983 की सिविल प्रकीर्ण याचिका संख्या 1903 में याचियों को रिक्तियों से संबंधित फाइलों का निरीक्षण अनुज्ञात करने के लिए निदेश दिए। निरीक्षण 7 अक्तूबर, 1985 को पूरा हुआ जिससे याचियों के अनुसार ये तथ्य दर्शित हैं—(i) यह कि सुसंगत अभिलेख उपलब्ध है और यह सदैव सरकार के पास था और यह कि इसे सरकार ने जानबूझकर पेश नहीं किया था, (ii) यह कि सभी प्रोन्नतियां कोटा के भीतर थीं और यह कि ये अधिक नहीं थीं। अपेक्षाकृत रूप में प्रोन्नतियां कम थीं, (iii) यह कि कोटा नियम का अनुसरण वर्ष 1951 से उपर्युक्त **प्रथम गुप्ता**[1] वाले मामले में के निर्णय की तारीख तक प्रति वर्ष किया गया, (iv) यह कि कोटा नियम 15 जनवरी, 1959 को समाप्त नहीं हुआ, (v) यह कि सेवा की अत्यावश्यकताओं द्वारा यथा अपेक्षित रूप में, कोटा नियम में वर्ष 1958 और 1959 में संशोधन शिथिल किया गया, (vi) यह कि परमादेश के अनुसरण में कोटा नियम लागू करके, सरकार ने उपर्युक्त **प्रथम गुप्ता**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा विनिश्चित सिद्धांतों का अनुसरण नहीं किया और ये गलतियां कीं—

(क) सरकार ने किसी विशिष्ट समय विद्यमान रिक्तियों के लिए कोटा लागू नहीं किया। ऐसा करने की बजाय, उसने 66-2/3 प्रतिशत और 33-1/४ प्रतिशत के कोटा नियम का इस प्रकार गलत निर्वचन किया मानो कि उसके लिए यह अपेक्षित हो। कि आय-कर अधिकारियों के काडर में 2 : 1 का अनुपात रखा जाए और यह कि मानो कि प्रत्येक 2 सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के मुकाबले एक प्रोन्नत व्यक्ति था यह गलत निर्वचन उपर्युक्त **प्रथम गुप्ता**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित सिद्धांत के भंग में अपनाया गया। लागू किए जाने के कारण कम प्रोन्नतियां हुईं।

(ग) प्रोन्नत व्यक्तियों को स्थायी रिक्तियों में भी उनका पूर्ण कोटा नहीं

[1] [1975] सप्ली० एस० सी० आर० 491.

दिया गया जो उन्हें इस बाबत ध्यान रखे बिना कि क्या सीधी भर्ती पूरी की गई थी दिया जाना चाहिए था। सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के कोटा का कम उपयोग किया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रोन्नत व्यक्तियों को स्थायी रिक्तियों में भी उनके विधिसम्मत अंश से वंचित कर दिया गया। इन परिस्थितियों में वास्तविक नियुक्तियां रिक्ति मानी गईं और इनके परिणामस्वरूप अनिवार्यतः अधिक प्रोन्नतियां होना आबद्ध था।

16. इन तथ्यों के आधार पर, जो याचियों के अनुसार उनके निरीक्षण में प्रकट हुए, उनका पक्षकथन यह है कि उनका यह अभिकथन कि सुसंगत फाइलें उपलब्ध थीं और अभी तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थीं और आगे यह अभिकथन कि अधिक प्रोन्नतियां नहीं की गई थीं, निरर्थक थे। इससे यह प्रकट है कि उपर्युक्त **प्रथम गुप्ता**[1] वाले मामले में नए नियम विरचित करने के लिए निदेश निदेश और, इसलिए, इन निदेशों के अनुसरण में विरचित 1973 के नए ज्येष्ठता नियम अनुचित, अन्यायसंगत और अवैध थे।

17. याचियों ने आगे यह भी दलील दी कि यह सिद्धांत कि रिक्तियों से वे रिक्तियां अभिप्रेत हैं जो सरकार भरना चाहती है। उपर्युक्त **प्रथम गुप्ता**[1] वाले मामले में अधिकथित इस सिद्धांत के अनुरूप है कि प्रोन्नत व्यक्तियों को इस बाबत ध्यान रखे बिना कि क्या सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों का कोटा भरा गया अथवा नहीं उनके अंश का कोटा प्राप्त होना चाहिए। किंतु वर्तमान मामले में प्रतिकूल हुआ है, अर्थात् प्रोन्नत व्यक्तियों के कोटा का परिकलन सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की नियुक्तियों के आधार पर किया गया जिससे प्रोन्नत व्यक्तियों को उनकी प्रोन्नति के उन अवसरों से जो अन्यथा उपलब्ध थे उनमें से अधिकांश को अपवंचित करके अन्याय किया गया।

18. याचियों की दलील यह भी है कि वास्तव में, रिक्तियां थीं और सरकार उन रिक्तियों को भरना चाहती थी। यह इस तथ्य से प्रमाणित है कि जब निर्धारण कार्य के प्रयोजनार्थ नए पद सर्जित किए गए थे, तो सीधी भर्ती वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे और, इसलिए, आय-कर अधिकारियों के ग्रुप-ख से ग्रुप-क के लिए प्रोन्नतियां की गईं और यहां तक कि ग्रुप-ख के अधिकारियों की ग्रुप-क के पदों पर नियुक्ति की गई और वे ग्रुप-क के अधिकारियों की भांति समरूप कृत्य करते थे। इस दलील का 1983 की रिट याचिका संख्या 546=47 में अंतर्वलित विवाद्यक से भी संबंध है और हम इस पर बाद में इस संदर्भ में विचार करेंगे।

19. जब ये याचिकाएं लंबित थीं, तो सरकार ने 1 अप्रैल, 1988 से आय-कर अधिनियम, 1961 में 24 जनवरी, 1988 को संशोधन किया और, अन्य बातों के साथ-साथ आय-कर अधिकारियों और सहायक आयुक्तों के पदनाम में इस प्रकार परिवर्तन कर दिया—

---

[1] [1975] सप्ली० एस० सी० आर० 491.

1990(3) eILR(PAT) SC 24

संशोधन पूर्व	संशोधन उपरांत
(क) आय-कर अधिकारी (ग्रुप-ख)	आय-कर अधिकारी
(ख) आय-कर अधिकारी (ग्रुप-क)	सहायक आयुक्त
(ग) सहायक आयुक्त	उपायुक्त

इस संशोधन ने इसी तारीख अर्थात् 1 अप्रैल, 1978 से धारा 116, 117, 118 और 120 भी प्रतिस्थापित की और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को मुख्य आयुक्तों और आय-कर आयुक्तों को नए पदाभिहित आय-कर अधिकारियों और सहायक आयुक्तों का कार्य वर्गीकृत करने के लिए प्राधिकृत करते हुए अधिसूचनाएं जारी करने और आय की प्रमात्रा के आधार पर आय-कर अधिकारियों और सहायक आयुक्तों की अधिकारिता के लिए उपबंध करने के लिए प्राधिकृत किया। याचियों के अनुसार, यह 1983 की रिट याचिका संख्या 546-47 में के बाद हेतुक को विनष्ट करने के लिए किया गया.।

20. तारीख 12 मई, 1988 को सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ, प्रोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों में से प्रत्येक का 50 प्रतिशत कोटे के लिए उपबंध करते हुए भर्ती के नए नियम विरचित किए। परिणामस्वरूप, अतिरिक्त आधार देते हुए 1983 की रिट याचिका संख्या 546-47 के संशोधन के लिए एक आवेदन फाइल किया गया।

21. अत: यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत याचिका में याची प्रोन्नत व्यक्तियों के पक्षकथन का संपूर्ण आधार यह है कि 1973 के ज्येष्ठता नियम सरकार द्वारा 16 अगस्त, 1972 को उपर्युक्त **प्रथम गुप्ता**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निदेश के अनुसरण में बनाए गए थे और यह निदेश इस न्यायालय द्वारा इसलिए दिया गया था क्योंकि सरकार द्वारा पेश की गई सामग्री के आधार पर, इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला था कि प्रोन्नत व्यक्तियों को उनके कोटे से अधिक प्रोन्नत किया गया। तथापि उनके अनुसार नई सामग्री से जो उन्हें पता चली है यह दर्शित है कि वास्तव में कोटा में उनके न केवल प्रोन्नत व्यक्ति अधिक थे अपितु वास्तव में कोटा में उनके हक के अनुसार उनकी प्रोन्नतियां कम थीं।

22. सरकार और प्रत्यर्थी भारत संघ तथा सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों दोनों की ओर से, हमें यह बताया गया कि याची-प्रोन्नत व्यक्तियों की ओर से पेश की गई तथा कथित नई सामग्री उनके अभिकथन साबित करना दूर रहा उस निष्कर्ष का समर्थन करती है जो इस न्यायालय ने उपर्युक्त **प्रथम गुप्ता**[1] वाले मामले में निकाला था। इस संबंध में, यह बताया गया कि स्वीकृतत: सुसंगत समय ग्रुप-क और ग्रुप-ख पदों के समनुषंगी आय-कर अधिकारियों के वर्ग-1 और वर्ग-2 के पद थे। वर्ग-1 या ग्रुप-क में ग्रेड-1 और ग्रेड-2 के अधिकारी सम्मिलित थे जबकि वर्ग-2 या ग्रुप-ख में ग्रेड-III के अधिकारी सम्मिलित थे। ग्रुप-ख के अधिकारी पहले ग्रुप-क ग्रेड-2 के पदों के लिए प्रोन्नत किए जाने के हकदार थे। अतएव, प्रोन्नत व्यक्तियों की प्रोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्तियों, जो किसी समय विचार की जानी चाहिए थीं, वर्ग-1 या ग्रुप-क के ग्रेड-2 के पदों की रिक्तियां थीं। तथापि उनकी

1 [1975] सप्ली० एस० सी० आर० 491.

1990(3) eILR(PAT) SC 24

याचिका की जिल्द-2 के पृष्ठ 32 से यह स्पष्ट है कि याची प्रोन्नत व्यक्तियों ने यह दर्शित करने के लिए कि वास्तव में न केवल उन्हें अधिक प्रोन्नति प्रदान की गई थी अपितु उनकी प्रोन्नतियां उन रिक्तियों से कम थी जो उन्हें उनके कोटे में उपलब्ध थीं न केवल ग्रेड-2 के पदों की रिक्तियों पर विचार किया है अपितु ग्रेड-1 के पदों पर भी । हम यहां नीचे मंजूर संख्या, रिक्तियों, प्रोन्नत व्यक्तियों के कोटे, की गई प्रोन्नतियों की वास्तविक संख्या और उक्त पृष्ठ 32 पर याचियों द्वारा यथा परिकलित 1951 से 1958 के कोटे में उनकी कमी या आधिक्य की सुसंगत तालिका पुनः प्रस्तुत करते हैं । याचियों के अनुसार, तालिका में दी गई संख्या नई पता चली फाइलों से ली गई है :

1951-1958 तक रिक्ति संबंधी स्थिति

वर्ष	मंजूर संख्या ग्रेड-1 ग्रेड-2 कुल	कार्यरत संख्या ग्रेड-1 ग्रेड-2 कुल	रिक्तियां	प्रोन्नतियों का कोटा	प्रोन्नतियों की वास्तविक संख्या	कमी (—) या आधिक्य (+)
1951	216+200=416	77+98=175	241	80	—	
1952	224+221=445	83+113=196	249	83	49 (—)	34
1953	224+221=445	130+129=259	186	62	38 (—)	24
1954	224+221=445	169+157=326	119	40	31 (—)	9
1955	224+221=445	154+217=371	74	25	24 (—)	1
1956	224+221=445	187+214=401	44	15	25 (+)	10
1957	287+248=535	224+184=408	127	42	26 (—)	16
1958	290+248=538	213+202=415	123	41	28 (—)	13

97—10=87 शुद्ध कमी

23. उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि याची प्रोन्नत व्यक्तियों ने मंजूर संख्या के पदों का परिकलन न केवल ग्रेड-2 के पदों का किया है अपितु ग्रेड-1 के पदों का भी किया है, जब प्रोन्नति के लिए उन्हें उपलब्ध पद केवल ग्रेड-2 में थे। अतएव, कार्यरत संख्या रिक्तियों और रिक्तियों में उन्हें उपलब्ध कोटा और कोटे में कमी या आधिक्य की बाबत उनका आगे परिकलन गलत हैं। सरकार की ओर से, ग्रुप-क (वर्ग-1) के ग्रेड-2 के पदों की मंजूर संख्या में वास्तविक रिक्तियों के आधार पर 1951 से 1958 के सुसंगत समय के लिए निम्न परिकलन किए गए हैं। इन परिकलनों से यह दर्शित है कि वास्तव में उक्त अवधि के दौरान, प्रोन्नत व्यक्तियों को 93 की सीमा से अधिक ग्रुप-क (वर्ग-1) के ग्रेड-2 पदों के लिए प्रोन्नत किया गया था। अतएव, 97 की कमी जो उन्होंने उक्त अवधि के दौरान अपनी नियुक्तियों में दर्शित की है, स्पष्टतः गलत है। उक्त तालिका जो हमें पहले सरकार के काउंसेल श्री गोविंद दास द्वारा की गई रिट याचिका के पृष्ठ 32 पर दी गई वैसी ही संख्या के आधार पर तैयार की गई है। अब, यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अवर सचिव रवि कुमार द्वारा तारीख 23 जनवरी, 1990 को फाइल किए गए अतिरिक्त शपथ-पत्र का उपाबंध है। यह तालिका इस प्रकार है :

वर्ष	मंजूर संख्या ग्रेड-2 वर्ग-1	कार्यरत संख्या ग्रेड-2 वर्ग-1	रिक्तियां	प्रोन्नति का कोटा 33%	पृष्ठ 32 पर यथाकथित वास्तविक प्रोन्नति	अधिक
1951	200	98	102	34		
1952	221	113	108	36	49	13
1953	221	129	92	31	38	7
1954	221	157	64	21	31	10
1955	221	217	4	1	24	23
1956	221	214	7	2	25	23
1957	248	184	64	22	26	4
1958	248	202	46	15	28	13
						93

24. उपरोक्त तालिका में दर्शित संख्या स्वतः स्पष्ट है। इन संख्याओं को सामने रखते हुए, याचियों ने एक और चार्ट प्रस्तुत किया जिसका सुसंगत उद्धरण इस प्रकार है—

	कुल रिक्तियां		सीधी भर्ती वाले व्यक्ति				प्रोन्नत व्यक्ति		
वर्ष	ग्रेड-2 में मंजूर संख्या	ग्रेड-2 में कार्यरत संख्या	ग्रेड-2 में रिक्तियां	कोटा	वास्तविक	अधिक/कम	कोटा	वास्तविक प्रोन्नतियां	कम/अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1952	221	113	108	72	33	(—) 39	36	49	(+) 13
1953	221	129	92	61	28	(—) 33	31	38	(+) 7
1954	221	157	64	43	52	(+) 9	21	31	(+) 10
1955	221	217	4	3	53	(+) 50	1	24	(+) 23
1956	221	214	7	5	48	(+) 43	2	25	(+) 23
1957	248	184	64	43	27	(—) 16	21	26	(+) 5
1958	248	202	46	31	99	(+) 68	15	28	(+) 13
			385	258	340	(+) 82	127	221	(+) 94

इस चार्ट को प्रस्तुत करके याचियों ने यह दर्शित करने का प्रयास किया कि सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की नियुक्ति सुसंगत कालावधि के दौरान उनके कोटे से 82 अधिक की गई थी। तथापि, इस चार्ट की रोचक विशिष्टता यह है कि याचियों ने यह स्वीकार किया कि इस कालावधि के दौरान उनकी भी भारत संघ की ओर से तैयार किए गए चार्ट में दर्शित 93 के मुकाबले उनके कोटे से 94 अधिक की गई थी। (एक का अंतर वर्ष 1957 के लिए प्रत्यर्थियों द्वारा परिकलित 4 के मुकाबले उसी वर्ष में 5 अधिक परिकलित किए जाने के कारण है)। इस चार्ट के आधार पर यह दलील दी गई कि इस तथ्य को देखते हुए कि सीधी भर्ती वाले और प्रोन्नत दोनों प्रकार के व्यक्तियों की नियुक्तियां उनके कोटे से अधिक की गई थीं, यह नहीं कहा जा सकता था कि कोटा भंग हो गया था।

25. प्रथमतः स्वयं याचियों द्वारा तैयार किए गए चार्ट से यह दर्शित है कि यह निष्कर्ष कि प्रोन्नत व्यक्तियों की नियुक्ति उनके कोटे से अधिक की गई थी जो इस न्यायालय द्वारा **प्रथम गुप्ता**[1] वाले मामले में निकाला गया सही है और वर्तमान याचिका के उनके पक्षकथन के आधार को ही ध्वस्त करता है अर्थात्, यह कि नई पता चली सामग्री से यह दर्शित है कि न केवल उनकी नियुक्ति उनके कोटे से अधिक की गई थी, अपितु वास्तव में वे कम थीं। द्वितीयतः, यह धारणा करते हुए कि सुसंगत अवधि के दौरान सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की उनकी संख्या सही है (क्योंकि जहां तक यह बात है कि उन्होंने कभी यह दलील नहीं दी थी कि सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की नियुक्ति उनके कोटे से अधिक की गई थी और, इसलिए प्रत्यर्थियों को इसे पूरा करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ था), यह केवल **प्रथम गुप्ता**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के इस निष्कर्ष को ही सशक्त बनाता है कि कोटा नियम भंग हो गया था। कोटा नियम उस समय ध्वस्त नहीं होता है जब मात्र एक स्रोत से नियुक्तियां अननुपातिक रूप में कम या अधिक होती हैं।

26. इसके बाद याचियों की ओर से यह दलील दी गई कि रिक्तियों का परिकलन करने का सरकार का तरीका गलत था। हमारे लिए इस अभिकथन का विश्लेषण करना और रिक्तियों का परिकलन करने का सही मार्ग खोजना आवश्यक नहीं है। ऐसा इस कारण कि सर्वप्रथम कि, याचियों ने सरकार द्वारा परिकलित उन रिक्तियों के आधार पर प्रस्तुत याचिका द्वारा इस न्यायालय में समावेदन किया है जो याचियों के अनुसार दबा ली गई थीं। द्वितीयतः, उनके स्वयं के चार्ट से यह दर्शित है कि रिक्तियों का परिकलन सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष में मंजूर संख्या से वार्षिक कार्यरत संख्या को घटाकर किया गया था। याचियों द्वारा अपने चार्ट में दर्शित प्रोन्नत व्यक्तियों का कोटा आगे इस प्रकार निकाली गई रिक्तियों के आधार पर है न कि उनके द्वारा यथा अभिकथित सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की नियुक्ति के आधार पर और यह अभिकथन रिट याचिका में उनकी अन्य दलील का आधार है। तृतीयतः यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रस्तुत याचिका में याचियों की दलील यह है कि प्रोन्नतियों में कमी की नई संख्या (आंकड़ों) का परिकलन याचियों द्वारा उन गायब फाइलों में की गई टिप्पणियों के आधार पर किया गया है जो उपर्युक्त **प्रथम गुप्ता**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा किए गए विनिश्चय के समय उपलब्ध नहीं थीं। अतएव, यह धारणा करते हुए भी कि इन टिप्पणयों का सुसंगत तारीखों को उपलब्ध वार्षिक रिक्तियां साबित करने के लिए अंतर्भूत

1 (1975) सप्ली० एस० सी० आर० 491.

1990(3) eILR(PAT) SC 24

साक्ष्यिक मूल्य है, उक्त टिप्पणियों के तर्क के आधार पर याचियों की दलीलें साबित नहीं होती हैं। अंततः, और यह हमारे अनुसार उतना ही हानिकर तथ्य है जहां तक याचियों के प्रस्तुत मामले का संबंध है, मंजूर संख्या और वे रिक्तियां जिनका इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त **प्रथम गुप्ता**[1] वाले मामले में परिकलन किया गया, स्वयं याचियों द्वारा अपने नए चार्ट में दर्शित संख्या के लगभग अनुरूप हैं, केवल कुछ मुद्दों की बाबत थोड़ा अंतर है। यह तथ्य प्रस्तुत याचिका में विशेष रूप से विचारणीय है क्योंकि एकमात्र आधार, जिससे याचियों ने इस याचिका द्वारा इस न्यायालय में समावेदन किया है, यह है कि वार्षिक रिक्तियों की संख्या इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों द्वारा छिपा ली गई थीं और इसे छिपा लेने के कारण ही इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रोन्नत व्यक्ति अपने कोटे से अधिक थे और नए ज्येष्ठता नियम विरचित करने तथा नई ज्येष्ठता सूची तैयार करने के लिए निदेश दिए। दूसरी ओर, तथाकथित नई सामग्री से यह साबित है कि उपर्युक्त **प्रथम गुप्ता**[1] वाले मामले में दिए गए निदेश उचित परिकलन पर आधारित थे और न्यायोचित थे।

27. यह कहना भी सही नहीं है कि इस न्यायालय ने मात्र इस कारण प्रश्नगत निदेश दिए थे कि वर्ष में वार्षिक रिक्तियां दर्शित करने के लिए सामग्री नहीं थी। उपर्युक्त **प्रथम गुप्ता**[1] वाले मामले में के विनिश्चय में पृष्ठ 501-502 पर दिए गए उद्धरण से यह स्पष्ट है—

> "ऐसी किसी सामग्री जिससे हमें वर्ष में वास्तविक रिक्तियों का पता चलता है के अभाव में, हम यह समझते हैं कि परमादेश (मैण्डेमस) को कार्यान्वित करने के लिए जहां संभवतः किया जा सकता है, उन वर्षों में की नियुक्तियों की संख्या को सारवान रूप में वास्तविक रिक्तियों की संख्या मानना युक्तियुक्त होगा। एक समनुषंगी कारण भी है कि इस संख्या को क्यों युक्तियुक्त रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यह सत्य है कि कोटा नियम उन रिक्तियों के प्रति निर्देश करता है जो सरकार भरना चाहती है। उपर्युक्त नियम 4 में आगे परिलक्षित सरकार का यह विशेषाधिकार है कि क्या कोई रिक्ति भरी जा सकती है या नहीं। यदि किसी विशिष्ट वर्ष में 100 रिक्तियां भी हों तो भी सरकार उन सभी रिक्तियों को भरने के लिए आवद्ध नहीं है। वह उनमें से 90 भर सकती है और कोई भी व्यक्ति यह जोर नहीं दे सकता कि सरकार उन सभी रिक्तियों को भरेगी। अतएव, जब कोटा नियम में उन रिक्तियों के प्रति निर्देश हो तो यह इस नियम में विवक्षित है कि रिक्तियां तो रिक्तियां ही हैं जो सरकार भरना चाहती है, चाहे उनकी वास्तविक संख्या कुछ भी हो। अतएव, किसी प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में वास्तविक नियुक्तियां रिक्तियों का सही परिणाम हैं जो सरकार भरना चाहती थी। इस दृष्टिकोण से भी इस आधार पर कार्यवाही करना अनुज्ञेय होगा कि वास्तविक नियुक्तियों से उन वास्तविक रिक्तियों का पता चलता है जो सरकार भरना चाहती थी। उदाहरणार्थ, यदि वर्ष 1953 में सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों द्वारा 38 पद भरे गए थे तो भरे जाने के लिए ईप्सित कुल रिक्तियां 91 होंगी और ऐसी स्थिति में प्रोन्नत व्यक्ति 30 रिक्तियों के लिए हकदार होंगे। इस प्रकार सरकार ने

---
[1] (1975) सप्लो० एस० सी० आर० 491.

उपाबंध 'एन' [1971 की सिविल अपील संख्या 2060 (एन) में जिल्द संख्या 1 के पृष्ठ 26] में यथादर्शित 1953 से 1957 के प्रत्येक वर्ष के लिए अधिक अवधारित करने के लिए कार्यवाही की। हमारी राय में, विभिन्न वर्षों में नियुक्त किए गए प्रोन्नत व्यक्तियों की संख्या का अवधारण करने के लिए विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सारवान रूप में सही है। उपाबंध 'एन' वर्ष 1953 से प्रारंभ है। इसे वर्ष 1952 से प्रारंभ होना चाहिए न कि 1953 से। वास्तव में 5 वर्ष की कालावधि 1951 से प्रारंभ होती है और 1956 मे समाप्त किंतु क्योंकि 1951 में कोई प्रोन्नति नहीं हुई थी उस वर्ष में आधिक्य का प्रश्न नहीं उठता है। परमादेश के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठता सूची वर्ष न केवल 1953 से 1956 अपितु 1952 से 1956 का आधिक्य दर्शित करते हुए वर्ष 1952 पुनः तय की जानी चाहिए। 1956 के अंत में कोटा से अधिक की समग्र प्रगति का पता लग जाएगा और इस आधिक्य को, जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया, 1956 के उत्तरवर्ती वर्षों के कोटे में आमेलित किया जाना चाहिए।"

(अधोरेखांकित भाग पर जोर दिया गया)

यह इस तथ्य के अलावा है कि जैसा कि हमने पहले स्पष्ट किया, वास्तव में न्यायालय द्वारा परिकलित वास्तविक रिक्तियां वास्तविक नियुक्तियों के लगभग थीं। और किसी भी स्थिति में उक्त रिक्तियों के आधार पर परिकलित प्रोन्नत व्यक्तियों का कोटा और उक्त कोटे पर आधारित प्रोन्नतियों के आधिक्य की गणना बहुत कुछ सही थी और तथाकथित नई सामग्री से उस निष्कर्ष पर जो उस मामले में निकाला गया कोई अंतर नहीं पड़ेगा।

28. याचियों की अन्य दलील, अर्थात्, यह कि रिक्तियों की गणना करते समय, सरकार ने केवल स्थायी पदों की न कि अस्थायी पदों की गणना की थी, का भी कोई सार नहीं है। यह नहीं बताया गया कि याचियों द्वारा अपनी याचिका के पृष्ठ 32 पर रिक्तियों दर्शित ग्रुप-क (वर्ग-1) के ग्रेड-2 के पदों की मंजूर संख्या और कार्यरत संख्या तथा अस्थायी पद सम्मिलित नहीं हैं। इससे भी अधिक, वास्तव में उपर्युक्त प्रथम गुप्ता[1] वाले मामले में सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की एक दलील यह थी कि कोटा नियम का संबंध केवल स्थायी पदों की रिक्तियों से होना चाहिए न कि अस्थायी पदों की। इस दलील को उस मामले में न तो प्रोन्नत व्यक्तियों द्वारा और न ही सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। न्यायालय ने भी उस मामले में यह स्पष्ट किया कि 1945 के नियमों अथवा 1951 के कोटा नियम में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें यह कहा गया हो कि रिक्तियां स्थायी पदों की होनी चाहिए। न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की कि वास्तव में संपूर्ण काडर में वर्षों से स्थायी और अस्थायी पद सम्मिलित थे, और एक ओर स्थायी तथा अस्थायी पदों की स्थायी रिक्तियों तथा दूसरी ओर स्थायी और अस्थायी पदों के मध्य अंतर था। यह भी स्पष्ट किया गया कि 1948 से आगे के सीधी भर्ती वाले सभी व्यक्तियों की नियुक्ति आरंभतः अस्थायी पदों पर की गई थी। अतः, न्यायालय ने सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की यह दलील नामंजूर कर दी कि कोटा नियम में निर्दिष्ट रिक्तियां मात्र स्थायी पदों की रिक्तियां थीं। इससे यह दर्शित है कि सरकार ने सदैव स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के पदों की रिक्तियों की गणना की थी और प्रोन्नत व्यक्तियों ने इसे तब एक तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। यह दर्शित

[1] (1975) सप्ली० एस० सी० आर० 491.

करने के लिए हमारे समक्ष कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई कि ऐसा तब नहीं था। इसके प्रतिकूल, जो भी सामग्री याचियों ने अपनी याचिका में उपाबद्ध की है और जिसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है से यह दर्शित है कि वास्तव में सरकार ने सदैव स्थायी और अस्थायी पदों दोनों की मंजूर संख्या के आधार पर रिक्तियों की गणना की। हम इस संबंध में केवल दो उपाबंधों के प्रति निर्देश करते हैं। फाइल संख्या 20 (22) 56/एड० VI जो याचिका के पृष्ठ 125 पर उपाबंध 7 है, के उद्धरण से यह दर्शित है कि 1 जुलाई, 1956 को आयकर अधिकारी (वर्ग-1) के ग्रेड-2 के पदों की मंजूर की गई कुल संख्या की गणना 248 की गई थी जिसमें 207 स्थायी और 41 अस्थायी पद सम्मिलित थे। इसी प्रकार फाइल संख्या 22/4/58 एड० VI जो याचिका के पृष्ठ 155 पर उपाबंध 11 है, आयकर अधिकारी (वर्ग-1) के ग्रेड-2 पदों की वास्तविक संख्या 248 उल्लिखित है जिसमें 207 स्थायी और 41 अस्थायी पद सम्मिलित हैं। याचियों द्वारा पेश किए गए दोनों चार्टों से जिनकी चर्चा हमने पहले की है, वर्ष 1957 और 1958 प्रत्येक के लिए उक्त काडर की मंजूर संख्या 248 दर्शित है। सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों की रिक्तियों और कोटे का परिकलन भी याचियों द्वारा उक्त दोनों चार्टों की इस संख्या के आधार पर किया गया है। अतएव, इस सामग्री से याचियों की यह दलील मिथ्या सिद्ध हो जाती है कि सरकार ने सुसंगत कालावधि के दौरान रिक्तियों का परिकलन करने के लिए अस्थायी पदों पर विचार नहीं किया था। उपर्युक्त **जय सिंघानी**[1] वाले मामले में तारीख 31 जनवरी, 1967 को फाइल किए गए अपने शपथपत्र में तत्कालीन वित्त सचिव श्री आर० सी० दत्त ने आगे यह स्पष्टतः कथन किया कि रिक्तियों की गणना इस जानकारी के संदर्भ में की गई थी : (I) काडर संख्या में संयोजन, यथास्थिति, अस्थायी या स्थायी, और (II) विशिष्ट पदों पर अधिकारियों की मृत्यु, सेवानिवृति, प्रोन्नति, त्यागपत्र, हटाए जाने आदि के परिणामस्वरूप किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान उद्भूत रिक्तियां। प्रत्यर्थी भारत संघ का प्रारंभ से यह आधार रहा है, और मात्र प्रतिकूल अभिकथन करने के सिवाय, याचियों ने अपनी उक्त दलील के समर्थन में किसी प्रकार की सामग्री प्रस्तुत नहीं की है। इसके प्रतिकूल उनके द्वारा पेश किया गया चार्ट इस बात पर आधारित है कि अस्थायी और स्थायी दोनों पदों की रिक्तियों की गणना की जानी चाहिए थी।

29. इस तथ्य से काफी स्पष्ट हो चुका है कि अधीनस्थ विधायन से संबंधित संसदीय समिति ने, जैसा ऊपर कहा गया, ज्येष्ठता नियम और 1973 की ज्येष्ठता सूची पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की, जैसा कि अभिकथित है कि उन्होंने प्रोन्नत व्यक्तियों के साथ अन्याय किया था। इस तथ्य के अलावा, कि उक्त सिफारिशों का कोई विधिक आबद्धकारी प्रभाव नहीं है, इन्हें सरकार द्वारा भी स्वीकार नहीं किया गया था। अधीनस्थ विधान से संबंधित समिति के अध्यक्ष को संबोधित अपने 31 अक्तूबर, 1976 के पत्र में तत्कालीन वित्त मंत्री ने यह कहा कि—

> "मैंने लोक सभा को 7 मई, 1986 को प्रस्तुत की गई अधीनस्थ विधान से संबंधित समिति की आठवीं रिपोर्ट का परिशीलन किया है।
>
> 2. तथापि, मुझे खेद है कि सरकार के लिए मामले में किसी प्रकार की

[1] [1967] 2 एस० सी० आर० 703.

महत्वपूर्ण कार्रवाई करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि आयकर विभाग के प्रोन्नत अधिकारियों की अभिकथित शिकायतें असत्य और काल्पनिक हैं। विगत में, प्रोन्नत व्यक्तियों की संभाव्यताएं, स्थिति और शक्ति नियमों के मात्र जानबूझकर और अनवरत अतिक्रमण के कारण बेहतर बनी हुई थी। नियमों के उक्त अतिक्रमण के परिणामस्वरूप लंबे समय तक मुकदमेबाजी चली जिससे बार-बार उच्चतम न्यायालय तक जाना पड़ा इसका अंत में बी० एस० गुप्ता वाले मामले में उस समय निपटारा हुआ जब उच्चतम न्यायालय ने ज्येष्ठता नियम, 1973 और ज्येष्ठता सूची का अनुमोदन किया। इन नियमों और ज्येष्ठता सूची को उच्चतम न्यायालय के स्वयं के निदेश के अनुसार तैयार किया गया था और इनका अनुमोदन उसने दोनों पक्षों को अपना पक्षकथन प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् किया गया था। इन नियमों को उच्चतम न्यायालय द्वारा 'न्यायसंगत और ऋजु' घोषित किया गया था। यह महत्वपूर्ण है कि स्वयं प्रोन्नत व्यक्ति स्वीकृततः बेहतर अनुकल्प प्रस्तावित नहीं कर सकते थे। अतः, ज्येष्ठता नियमों में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

3. जहां तक कोटा का संबंध है, प्रोन्नत व्यक्तियों को आरंभतः ग्रुप 'क' रिक्तियों की मात्र 20 प्रतिशत दी गई थीं। बिना भरी गई रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्ष के सीधी भर्ती के कोटे के भाग के रूप में अग्रनीत की जानी चाहिए थीं। स्पष्ट आशय सेवा के मंजूर किए गए कर्मियों की गुणवत्ता के कतिपय मानक बनाए रखने का था। 1951 से 1958 के मध्य कोटा प्रोन्नत व्यक्तियों के पक्ष में बढ़ाकर एक तिहाई कर दिया गया। 197- में, प्रोन्नति कोटा बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया जो केंद्रीय सरकार के अधीन की किसी सेवा में सर्वोच्च है।

4. रियायत का प्रश्न अविच्छिन्न रूप में कोटा से जुड़ा हुआ है। पहले प्रोन्नत व्यक्तियों को अनुज्ञात रियायत उन्हें उस समय उपलब्ध 20% या 33-1/2% के कम कोटे को देखते हुए दी गई थी। जब नियमों में संशोधन किया गया और प्रोन्नत व्यक्तियों का कोटा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया, तो प्रोन्नति के मामले में दी गई रियायत उसी समय वापस ले ली गई। स्वयं उच्चतम न्यायालय ने इसके उत्सादन की अभिपुष्टि की और यह मताभिव्यक्ति की कि प्रोन्नत व्यक्ति "वर्ग-1 के लिए भर्ती के उच्चतर प्रतिशत का फायदा प्राप्त करने के पश्चात्, ज्येष्ठता के मामले में पहले प्राप्त की जा रही रियायत के उत्सादन के प्रति विधिसम्मत रूप में आक्षेप नहीं कर सकते थे।"

यह पत्र उपर्युक्त रूप में रवि कुमार के अतिरिक्त शपथपत्र के साथ उपाबद्ध है। अतः यह स्पष्ट है कि सरकार ने भी बहुत पहले 1986 में स्वतंत्र रूप में यह निष्कर्ष निकाला था कि न तो ज्येष्ठता नियमों से और न ही 1973 की ज्येष्ठता सूची से प्रोन्नत व्यक्तियों के साथ कोई अन्याय हुआ था। वास्तव में, 1973 के नियमों द्वारा प्रोन्नत व्यक्तियों का कोटा 33-1/3 प्रतिशत से 50 प्रतिशत बढ़ा दिया गया था। प्रोन्नत व्यक्तियों की ज्येष्ठता पूर्ववर्ती कोटा नियम और उन व्यक्तियों की ज्येष्ठता के आधार पर जिनकी नियुक्ति बाद में

1990(3) eILR(PAT) SC 24

की गई थी, 15 जनवरी, 1959 तक समायोजित की गई थी और उस तारीख को अपने कोटे से अधिक पाए गए थे, नए नियमों के अनुसार समायोजित किया गया था ।

30. अभिकथित नई सामग्री के आधार पर याचियों की ओर से दी गई दो अन्य दलीलें ये थीं कि प्रथमतः, ग्रुप-क में ग्रेड-2 के अधिकारियों के पद की रिक्तियों की गणना करते समय, उपर्युक्त सभी पदों की रिक्तियों की गणना नहीं की गई थी, और द्वितीयतः, रिक्तियों की संख्या उन पदों की संख्या के समकक्ष नहीं होनी चाहिए थी जो सरकार ने भरीं अपितु इनकी गणना इनके वास्तविक अस्तित्व के आधार पर की जानी चाहिए थी । याचियों के अनुसार, यदि इन दोनों कारणों पर उपर्युक्त **प्रथम गुप्ता**[1] वाले मामले में विचार किया होता, तो न्यायालय प्रोन्नत व्यक्तियों को उनके कोटे से अधिक नहीं पाता । कुछ हद तक ये दलीलें परस्पर संबद्ध हैं । पहली दलील प्रथमतः इस बात पर आधारित है कि संबंधित अधिकारी द्वारा सुसंगत फाइलों में की गई टिप्पणियों का विभिन्न प्रवर्गों में की वास्तविक रिक्तियां साबित करने के लिए अंतर्भूत साक्ष्यिक मूल्य है और द्वितीयतः इस उपधारणा के लिए कि ग्रुप-क के ग्रेड-2 के पदों में यथागणना की गई रिक्तियों की संख्या से उच्चतर पदों की रिक्तियां पहले से परिलक्षित नहीं होती थीं । हमारे समक्ष पर्याप्त सामग्री के अभाव में, हमारे लिए ऐसी उपधारणा स्वीकार करना संभव नहीं है । द्वितीय दलील पर प्रस्तुत मामले में विचार तक किए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा पहले स्पष्ट किया गया है, वास्तविक रिक्तियां सुसंगत कालावधि के दौरान की गई नियुक्तियों के लगभग थीं । अतएव, क्या कोटे की गणना वास्तविक रिक्तियों के आधार पर की गई थी या की गई नियुक्तियों के आधार पर, इससे इस निष्कर्ष पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा जो इस न्यायालय ने **प्रथम गुप्ता**[1] वाले मामले में निकाला था कि प्रोन्नतियां कोटे से अधिक थीं । इसके अलावा, इस दलील का भी उत्तर इस मामले में इस न्यायालय द्वारा यथा उपरोक्त रूप में दे दिया गया और हमें इस मुद्दे से संबंधित अपनाए गए मत से भिन्न मत अपनाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । उपर्युक्त **प्रथम गुप्ता**[1] वाले मामले में के निर्णय के पूर्ववर्ती भाग में इस न्यायालय द्वारा जो कहा गया है उससे संबंधित याचियों में भ्रम स्पष्ट दिखाई देता है । उक्त निर्णय से उद्धृत अवतरण का पठन करते हुए जो यह न्यायालय निर्णय के पूर्ववर्ती भाग में संप्रेषित करना चाहता था वह यह है कि जब सरकार रिक्तियां भरने का विनिश्चय करती है, तो अन्य स्रोतों से की गई नियुक्तियों के लंबित रहते हुए एक स्रोत से नियुक्तियां आस्थगित करना आवश्यक नहीं है । परंतु यह तब जबकि जब सरकार रिक्तियां भरने का विनिश्चय करे इससे पूर्व नहीं ।

31. परिणामतः, हमें याचिका में कोई सार दिखाई नहीं देता है और इसे खारिज किया जाता है । नियम प्रभावोन्मुक्त किया जाता है । तथापि, इन परिस्थितियों में खर्चे की बाबत कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

1983 की रिट याचिका संख्या 546-47

32. जैसा कि पहले पूर्ववर्ती याचिका के तथ्यों का वर्णन करते हुए कहा गया है, हम यह स्पष्ट कर दें कि इन याचिकाओं को स्वयं दो आय-कर अधिकारियों द्वारा और आय-कर राजपत्रित सेवा संगम के अखिल भारतीय परिसंघ के प्रतिनिधियों के रूप में फाइल किया

[1] (1975) सप्ली० एस० सी० आर० 491.

गया था। यह परिसंघ ग्रुप-ख के सभी आय-कर अधिकारी और ग्रुप-क के सभी आय-कर अधिकारी, सहायक आयुक्त और ग्रुप-ख से प्रोन्नत किए गए आयुक्तों का प्रतिनिधित्व करता है। इन याचिकाओं के पक्षकारों में प्रत्यर्थी संख्या 4—सीधे भर्ती किए गए ग्रुप-क के अधिकारियों और सहायक आयुक्तों तथा सीधे भर्ती किए गए ग्रुप-क के आय-कर अधिकारियों से प्रोन्नत किए गए आयुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय राजस्व सेवा संगम है।

33. याचियों की मुख्य शिकायत यह है कि आय-कर अधिकारियों का दो वर्गों, अर्थात्, ग्रुप-क और ग्रुप-ख, में वर्गीकरण भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का अतिक्रमणकारी है क्योंकि (क) यह वर्गीकरण सुग्राह्य अंतर पर नहीं किया गया है और (ख) इस अंतर का आय-कर अधिनियम, 1961 द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए ईप्सित उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है क्योंकि दोनों गुणों के अधिकारी समरूप कार्य और समरूप कृत्य करते हैं। याचियों की दलील यह भी है कि उनका कार्य और पद अंतर्बदल हैं और व्यवहार में वे एक काडर हैं। याचियों का यह अभिकथन है कि इस अंतर को बनाए रखकर सरकार वास्तव में समरूप कार्य करने वाले और समरूप कृत्य संपादित करने वाले अधिकारियों को समान अवसर, समान वेतन और समान हैसियत से वंचित कर रही है। इस वर्गीकरण को चुनौती देने के लिए याचियों ने भी आय-कर अधिनियम, 1961 में प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा संशोधन किए जाने से पूर्व इसकी धारा 117 की सांविधानिक विधिमान्यता को भी चुनौती दी थी। 1987 के संशोधन अधिनियम द्वारा उक्त धारा के संशोधन के बाद उन्होंने अपनी याचिका संशोधित की है और न केवल उक्त धारा के उपबंध सशोधित किए बल्कि धारा 116, 118 और 120 में और 1988 के भर्ती नियमों तथा उनके अनुसरण में जारी की गई अधिसूचनाओं, परिपत्रों और आदेशों में संशोधन किया गया। संशोधित धाराओं तथा 1988 के नियमों, अधिसूचनाओं आदि के विरुद्ध चुनौती इस आधार पर दी गई कि वे संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 के अतिक्रमणकारी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने संशोधित उपबंधों को इस आधार पर चुनौती दी कि वे असदभावपूर्ण हैं और उनकी याचिका में कार्य हेतुक को नष्ट करने के लिए अधिनियमित किए गए हैं। इस संदर्भ में उन्होंने 1973 के ज्येष्ठता नियमों और ज्येष्ठता सूची को भी चुनौती दी है।

34. अपनी इस दलील के समर्थन में कि अधिनियम के संशोधित उपबंध असद्भाविक है उन्होंने यह दलील दी कि अधिनियम में संशोधन करके, सरकार ने 1988 के नए भर्ती नियम विरचित करने और सुसंगत अधिसूचनाएं, परिपत्र और ऐसे आदेश जारी करने की शक्ति स्वयं प्राप्त कर ली जिसके द्वारा वर्ग-1 और वर्ग-2 में आय-कर अधिकारियों के वर्गीकरण को न्यायोचित ठहराया जा सकता था। इस संबंध में, यह स्पष्ट किया गया कि इन नई शक्तियों के कारण ही सरकार को वर्ग-क और वर्ग-ख के आय-कर अधिकारियों की शक्तियों की अधिकारिता का अभ्यंकन करने और इस प्रकार उक्त वर्गीकरण को न्यायोचित ठहराने का प्राधिकार प्राप्त हो गया। संशोधन और नियमों, इसके अनुसरण में जारी किए गए नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों और आदेशों के अभाव में, उक्त वर्गीकरण विधि की दृष्टि में न्यायोचित नहीं था और इसे अभिखंडित किया जाना चाहिए था। अतः, यह भी दलील दी गई कि उक्त वर्गीकरण यह उपधारणा करते हुए कि यह न्यायोचित है, भविष्यलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 1988 से ही प्रभावित हो सकता है जब से इसे प्रवर्तन में लाया गया और उक्त तारीख से

1990(3) eILR(PAT) SC 24

पूर्व अधिकारियों का वर्गीकरण न्यायोचित नहीं होगा और इसलिए उन अधिकारियों को, जो संशोधित उपबंधों के प्रवर्तन में आने से पूर्व की तारीख को ग्रुप-ख सेवा से संबंधित थे, ग्रुप-क सेवा में समझा जाना चाहिए।

35. हम इस दलील से प्रभावित नहीं हैं। प्रथमतः इस दलील में अंतर्निहित उपधारणा यह है कि 1987 के संशोधन अधिनियम द्वारा अधिनियम के संशोधन से पूर्व इसके उपबंध ऐसे वर्गीकरण को अनुज्ञात नहीं करते थे और यह उपधारणा पूर्णतः गलत है। जबकि धारा 117 की उपधारा (1) के संशोधन से पूर्व इसके उपबंधों में अन्य बातों के अलावा वर्ग-1 सेवा के आय-कर अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति केंद्रीय सरकार को दी गई थी, इसकी उपधारा (2) के उपबंधों में वर्ग-2 सेवा के उतने आय-कर अधिकारियों की जितने केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर किए जाएं, नियुक्ति करने की शक्ति आयुक्त में निहित थी। तथापि, यह दलील दी गई कि असंशोधित धारा 117 की उपधारा (1) और (2) के इन स्पष्ट उपबंधों के होते हुए भी, इन्हें वर्ग-2 या ग्रुप-ख के आय-कर अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति से वंचित करने के अर्थ में समझा जाना चाहिए था। याचियों के अनुसार ऐसा इस कारण था कि तत्समय विद्यमान धारा 116, 118 और 124 के उपबंधों में आय-कर अधिकारियों को मात्र एक वर्ग के रूप में निर्दिष्ट किया गया था और इनमें उनके मध्य वर्ग-1 और वर्ग-2 के अधिकारियों के रूप में भेद नहीं किया गया है। प्रथमतः कानूनों के निर्वचन का यह प्रारंभिक नियम है कि किसी कानून के किसी उपबंध को अनावश्यक नहीं समझा जाना चाहिए। याचियों द्वारा इसके सिवाय कि अधिनियम के अन्य उपबंधों में इसमें उल्लिखित अधिकारियों के दो वर्गों के प्रति निर्देश नहीं किया गया था। विनिर्दिष्ट उपबंधों की अवज्ञा धारा 117(1) और (2) करने का कोई कारण आरोपित नहीं किया गया है। द्वितीयतः, जब विधानमंडल ने दो भिन्न प्राधिकारियों में दोनों वर्गों के अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति निहित करते हुए विशेष उपबंध किया है तो यह उपधारणा की जानी चाहिए कि विधानमंडल के सामने एक निश्चित उद्देश्य था। वर्ग-2 के आय-कर अधिकारियों के लिए उपबंध करते समय यह प्रतीत है कि विधानमंडल इस तथ्य से अवगत था कि निर्धारितियों के विभिन्न प्रवर्ग और इनसे निपटने के लिए उपस्कर, कौशल और प्रतिभा के विभिन्न मानकों के लिए अपेक्षित विभिन्न निर्धारण हो सकते हैं और, इसलिए, केंद्रीय सरकार में अपेक्षा को पूरा करने के लिए विभिन्न वर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति करने और उनकी नियुक्ति मंजूर करने की शक्ति निहित करना आवश्यक था। विधानमडल द्वारा विभिन्न वर्गों के अधिकारियों की नियुक्ति करने की निहित इस शक्ति के साथ दोनों वर्गों के अधिकारियों के कर्त्तव्य, कृत्य और उत्तरदायित्वों को अभ्यंकित करने की शक्ति भी निहित थी। क्या वास्तव में शक्तियों, कृत्यों और उत्तरदायित्वों को ऐसा विभाजन या नहीं वर्गीकरण करने की शक्ति की विधिमान्यता से इसका कोई संबंध नहीं है। यदि ऐसे वर्गीकरण के बावजूद भी, वास्तव में विभिन्न वर्ग समरूप शक्तियों का प्रयोग करते थे और समरूप कर्त्तव्य और कृत्यों करने को संपादित करते थे, तो वर्गीकरण उत्सादित किया जाने योग्य है। किंतु इससे वर्गीकरण की शक्ति को अविधिमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। अतएव, हम इस दलील से प्रभावित नहीं हैं कि विधानमंडल को अधिनियम के असंशोधित उपबंधों के अधीन आय-कर अधिकारियों को दो वर्गों में वर्गीकृत करने की किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं थी।

36. अतः यदि विधानमंडल ने स्वयं अधिकारियों को दो ग्रेडों या प्रवर्गों में वर्गीकृत

कर दिया और सरकार को अधिनियम के असंशोधित उपबंधों के अधीन, यथास्थिति उनकी नियुक्ति करने और/अथवा उनकी नियुक्तियां मंजूर करने की शक्ति दी थी, तो यह दलील नहीं दी जा सकती है कि संशोधन अधिनियम प्रस्तुत याचिकाओं में के वाद हेतुक को समाप्त करने के लिए असद्भाविक रूप में पारित किया गया था। यह इस तथ्य के अलावा है कि किसी भी विधान को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी कि वह असद्भाविक है। अतएव अधिनियम के असंशोधित उपबंधों और इसके अनुसरण में जारी किए गए नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों और आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। आगे यह भी सुझाव नहीं दिया गया कि नियम, अधिसूचनाएं, परिपत्र, आदेश आदि अधिनिमम के अधिकारातीत हैं। अतएव, इस चुनौती में कोई सार नहीं है।

37. अब दूसरी दलील पर विचार करते हुए जो प्रस्तुत याचिकाओं का मुख्य आधार है, अर्थात्, यह कि वास्तव में दोनों वर्गों के अधिकारी समरूप कृत्य और कर्तव्य करते हैं और समरूप शक्तियों का प्रयोग करते हैं तथा उनकी समरूप अधिकारिता है, इसलिए, उक्त वर्गीकरण के लिए किसी प्रकार का औचित्य नहीं है, पहले इस दलील के समर्थन में याचियों द्वारा अवलंबित तथ्यों की परीक्षा करना आवश्यक है। याचियों के अनुसार दोनों वर्गों के अधिकारी सदैव समरूप कर्तव्य और कृत्य कर रहे थे और समरूप शक्ति और अधिकारिता का प्रयोग कर रहे थे। उनके पद भी अंतर्बदल थे। वास्तव में ग्रुप-ख के बहुत से अधिकारी ग्रुप-क के अधिकारियों की भांति कार्य करते थे। संशोधन के पश्चात् भी जिससे आय के आधार पर दोनों वर्गों की अधिकारिता अभ्यंकित की गई, निर्धारण करने का आधारभूत कृत्य वही रहा और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह भी दलील दी गई कि एक बार किसी मामले के आय-कर अधिकारी की अधिकारिता के अधीन आने पर वह अधिकारी उक्त मामले में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता रहेगा चाहे पश्चात्वर्ती वर्षों में वही निर्धारिती उच्चतर आय की विवरणी क्यों ने फाइल करे। अतएव, आय की विवरणी पर आधारित अधिकारियों का वही वर्गीकरण पूर्णतः मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधीन याचियों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण-कारी है। आगे यह भी बताया गया कि वास्तव में 1973 से 1982 की कालावधि के दौरान ग्रुप-ख से ग्रुप-क में नियमित प्रोन्नतियों की संख्या उसी कालावधि के दौरान 1197 की तदर्थ प्रोन्नतियों के मुकाबले में मात्र 585 थी। इसी प्रमांर, 1982 से 1985 की कालावधि के दौरान नियमित प्रोन्नतियों की संख्या उसी कालावधि के दौरान अगली 200 तदर्थ प्रोन्नतियों के मुकाबले में 262 थी। इससे यह दर्शित है कि ग्रुप-ख के आय-कर अधिकारी काफी बड़ी संख्या में ग्रुप-क के अधिकारियों का कार्य कर रहे थे यद्यपि वे तदर्थ आधार पर ऐसा कर रहे थे। इससे आगे यह दर्शित है कि यद्यपि ग्रुप-ख से ग्रुप-क के लिए अधिकारियों की नियमित प्रोन्नति की आवश्यकता थी, सरकार ग्रुप-क के अधिकारियों की नियमित प्रोन्नति किए बिना इस वर्ग के अधिकारियों के कर्तव्य करने के लिए ग्रुप-ख के अधिकारियों के काफी बड़ी संख्या में प्रयोग कर रही थी और इस प्रकार दोनों ग्रुपों के मध्य औचित्य के बिना एक बनावटी भेद बनाए हुई थी।

38. जैसा कि प्रत्यर्थी 1 और 2 की ओर से फाइल किए गए शपथपत्र में कहा गया है, यद्यपि ग्रुप-क और ग्रुप-ख दोनों के अधिकारी समान शक्ति रखते हैं, ग्रुप-क के आय कर अधिकारी सामान्यतः उच्चतर उत्तरदायित्व करने से संबंधित महत्वपूर्ण वार्डों और

1990(3) eILR(PAT) SC 24

मामलों के प्रभारी होते हैं, जबकि ग्रुप-ख के अधिकारियों को साधारणतः कम महत्वपूर्ण वार्डों और मामले सौंपे जाते हैं। इनमें से काफी बड़ी संख्या में अधिकारियों को मात्र संक्षिप्त निर्धारण ही करने पड़ते हैं। आगे यह भी बताया गया कि अधिनियम के अधीन, 1987 के इसके संशोधन से पूर्व, ग्रुप-क से संबंधित अधिकारियों, अर्थात्, वर्ग-1 के अधिकारियों की नियुक्ति करने से संबंधित नियुक्ति करने की शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित थी जबकि ग्रुप-ख, अर्थात्, वर्ग-2 के अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति आय-कर आयुक्त में निहित थी। नियुक्ति प्राधिकारियों में यही भेद संशोधन के पश्चात् भी बना रहा। सहायक आयुक्त अर्थात्, ग्रुप-क के भूतपूर्व आय-कर अधिकारियों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है जबकि आय-कर अधिकारियों, अर्थात् भूतपूर्व ग्रुप-ख के अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा बोर्ड में या महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या निदेशक या आयुक्त में निहित की जा सकती है। प्रत्यर्थियों ने आगे इस बाबत भी इंकार किया कि कभी दोनों पदों का अदल-बदल हुआ था, और उन्होंने यह दलील दी कि वे सदैव पृथक् रहें। उनका कहना है कि वास्तव में, ग्रुप-क के अधिकारियों के पद के दो ग्रेड हैं अर्थात्, ग्रेड-1 और ग्रेड-2। ग्रुप-क के ग्रेड-2 पद सदैव ग्रुप-ख के अधिकारियों के लिए प्रोन्नति के पद रहे हैं। उनके वेतनमान भी भिन्न रहे हैं और उन्हें उन दोनों ग्रुपों के मध्य के अंतर को देखते हुए जो दो भिन्न काडरों से संबंधित हैं, नियत किए गए हैं। इस न्यायालय ने वास्तव में **के० एम० बक्शी** बनाम **भारत संघ**[1] वाले मामले में दोनों ग्रुपों के अधिकारियों के मध्य के अंतर से संबंधित मामले का परिशीलन किया और उक्त वर्गीकरण की अभिपुष्टि की।

39. आगे इस बाबत भी विवाद नहीं है कि ग्रुप-क के कनिष्ठ वेतनमान या ग्रेड-2 के आय-कर अधिकारियों के 50 प्रतिशत पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और 50 प्रतिशत पद विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा उन ग्रुप-ख के आय-कर अधिकारियों में से, जिन्होंने उस पद पर कम से कम 5 वर्ष की सेवा की है, चयन के आधार पर भरे जाते हैं। ग्रुप-ख के आय-कर अधिकारियों के पदों के लिए नियुक्तियां उन आय-कर निरीक्षकों में से जो सेवा के ग्रेड-ग या वर्ग-3 से संबंधित हैं प्रोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत की जाती है। आय-कर निरीक्षकों के पदों के लिए नियुक्तियां सीधी भर्ती द्वारा 33-1/3 प्रतिशत और निम्नतर ग्रुप की वर्ग-ग की सेवा से प्रोन्नति द्वारा 66-2/3 प्रतिशत की जाती है। परिणाम यह है कि ग्रुप-ख के लगभग 2,500 आय-कर अधिकारियों की वर्तमान संख्या में निम्नतर ग्रुप-ग के पदों से 185 प्रोन्नत व्यक्तियों को छोड़कर (जिनकी नियुक्ति केवल एक वर्ष अर्थात् 1969 में तदर्थ की गई थीं) सभी पद सम्मिलित हैं। इसके अलावा, जैसा ऊपर कहा गया, ग्रुप-ख के आय-कर अधिकारी, और ग्रुप-क के कनिष्ठ वेतनमान आय-कर अधिकारी दो भिन्न काडरों से संबंधित हैं न कि आय-कर अधिकारियों के उसी काडर से। अतएव वे लोग जिन्होंने निम्नतर ग्रुप-ग सेवा में कार्यभार ग्रहण किया ग्रुप-क के उन अधिकारियों की सेवा की शर्तों में समता का दावा नहीं कर सकते हैं जिनकी भर्ती या तो सीधे सिविल सेवा परीक्षा के

[1] ए० आई० आर० 162 एस० सी० 1139.

आधार पर की गई थी या ज्येष्ठता और योग्यता के आधार पर ग्रुप-ख से प्रोन्नत किए गए हैं।

40. प्रत्यर्थियों की ओर से यह भी बताया गया कि आय-कर अधिकारियों के पद-नाम में परिवर्तन करने के पश्चात् और भूतपूर्व ग्रुप-क और ग्रुप-ख के आय-कर अधिकारियों को क्रमशः सहायक आयुक्त और आय-कर अधिकारियों के रूप में पदाभिहित करके, उनकी अधिकारिता नियमित कर दी गई। अधिकारियों के दोनों वर्गों को अधिकारिता अभ्यंकित करते समय जिस आधारभूत सिद्धांत का अनुसरण किया गया वह वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को आय/हानि की विवरणी की मात्रा है। यदि आय/हानि की विवरणी 5 लाख रुपए और उससे अधिक है, तो यह उपायुक्त की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाला मामला है, 2 लाख रुपए और उससे अधिक किंतु 5 लाख रुपए से कम का मामला सहायक आयुक्त की अधिकारिता (अर्थात् भूतपूर्व ग्रुप-क अधिकारियों) के अंतर्गत आएगा, और यदि यह 2 लाख रुपए से कम है तो यह आय-कर अधिकारियों (भूतपूर्व ग्रुप-ख अधिकारियों) को जाएगा। यह भी बताया गया कि सरकार ने तब से 30 मार्च, 1988 को आय-कर अधिकारियों और कर वसूली अधिकारियों को सहायक निदेशक या सहायक आयुक्त के अधीनस्थ करते हुए एक अधिसूचना जारी की। तथापि, चूंकि अब सहायक आय-कर आयुक्तों (भूतपूर्व ग्रुप-क आय-कर अधिकारी) को 1,000 रुपए तक की राशि अपलिखित करने के लिए सशक्त बना दिया गया है यदि इस बाबत उन्हें विश्वास हो जाता है कि रकम अप्रतिसंहरणीय है, तो समरूप परिस्थितियों में आय-कर अधिकारी, अर्थात्, भूतपूर्व ग्रुप-ख अधिकारी केवल 500 रुपए तक की रकम अपलिखित करने के लिए सशक्त हैं। जब धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 147 के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण किया जाता है, तो धारा 148 के अधीन नोटिस जारी करने की शक्ति सहायक आयुक्त या उपायुक्त रैंक के निर्धारण अधिकारी में ही निहित होती है। अधिनियम की धारा 274 (2) शास्ति अधिरोपित करने के लिए आय-कर अधिकारी और सहायक आयुक्त की शक्तियों से संबंधित धनीय परिसीमा विहित करती है। इस उपबंध से यह दर्शित है कि आय-कर अधिकारी (अर्थात् भूतपूर्व ग्रुप-ख अधिकारी) को 10,000 रुपए तक की शास्ति अधिरोपित करने का प्राधिकार है जबकि सहायक आयुक्त (भूतपूर्व ग्रुप-क अधिकारी) को उपायुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना 20,000 रुपए तक की शास्ति अधिरोपित करने का प्राधिकार है।

41. इस प्रकार, प्रत्यर्थियों द्वारा अभिलेख पर पेश की गई सामग्री से यह दर्शित है कि ग्रुप-क और ग्रुप-ख अधिकारियों के मध्य अंतर प्रारंभ से ही विद्यमान है। इस अंतर को भिन्न शक्तियों और अधिकारिता, पदानुक्रम संबंधी स्थिति और पात्रता अर्हताओं द्वारा बनाए रखा गया है। उन्हें नियुक्त करने की शक्ति से निहित उनकी नियुक्ति और प्राधिकार के स्रोत भी भिन्न रहे हैं। आगे इन दोनों के मध्य अंतर प्रत्येक को सौंपे गए कार्य के वर्ग और उत्तरदायित्व के आधार पर किया गया है। वह कार्य जो अधिकांशतः नेमी प्रकृति का है और जिसमें या तो निर्धारितियों के वर्ग या फाइल की गई विवरणियों की जटिलताओं के कारण व्यापक अन्वेषण अंतर्वलित है, ग्रुप-क से संबंधित अधिकारियों (अब सहायक आयुक्तों) को सौंपा जाता है जबकि संक्षिप्त या नेमी प्रकृति या साधारण संव्यवहारों से अंतर्ग्रस्त निर्धारिती द्वारा नेमी विवरणी या विवरणी फाइल करने का निर्धारण कार्य ग्रुप-ख से संबंधित

1990(3) eILR(PAT) SC 24

अधिकारियों (अब आय-कर अधिकारियों) को सौंपा जाता है। अतः यद्यपि प्रकटतः कृत्य का बाह्य रूप और इसका प्रक्रिया संबंधी भाग समरूप है, व्यवहार में निर्धारण एक निर्धारिती से दूसरे निर्धारिती के मामले में भिन्न होता है जिसके लिए उनकी संवीक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के ज्ञान, मस्तिष्क प्रयोग, उपाय कौशल, कुशाग्रबुद्धि और प्रतिभा की आवश्यकता है। अतएव, मात्र इस कारण कि कार्य की अत्यावश्यकताओं के कारण कभी-कभी ग्रुप-ख से संबंधित अधिकारियों को ग्रुप-क के अधिकारियों का कार्य सौंपा जाता है, तो यह दावा नहीं किया जा सकता है कि दोनों पद समान रैंक के हैं। उच्चतर प्रवर्ग का कार्य करने वाला निम्नतर रैंक का अधिकारी उच्चतर पद की परिलब्धियों का हकदार हो सकता है। किंतु इससे दोनों पदों के मध्य का अंतर समाप्त नहीं हो सकता है। दोनों पदों को समान बनाने या इस कारण उनका विलय करने की याचियों की दलील को स्वीकार करना संपूर्ण कानूनी स्कीम को नामंजूर करना और इस तथ्य की अवज्ञा करना है कि ग्रुप-ख का पद (अर्थात् आय-कर अधिकारी का वर्तमान पद) आय-कर निरीक्षक और ग्रुप-क पद (अर्थात् सहायक आयुक्त का वर्तमान पद) जो कि ग्रुप-ख से संबंधित अधिकारियों के लिए प्रोन्नति संबंधी पद है, के मध्य का मध्यस्थ पद है। आगे ग्रुप-क पद एक चयन पद है और प्रोन्नत व्यक्ति को उक्त पद के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र होने हेतु कतिपय अर्हताओं का समाधान करना पड़ता है। अतः, दोनों पद दो भिन्न काडरों से संबंधित है जिनके वेतनमान और अन्य सेवा की शर्तें भी भिन्न हैं। इस प्रकार यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें दोनों पद समान हैसियत के हैं या दोनों पद एक ही वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों के मध्य अंतर कानून द्वारा आदिष्ट है और इसके उचित कार्यान्वियन के लिए आवश्यक है। अंतर्वलित प्रवर्तन की प्रकृति के कारण ही, प्रशासन को कार्य वर्गीकृत करने और विभिन्न प्रकार का कार्य निष्पादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल और प्रतिभा के कर्मी नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। विधानमंडल ने इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर अधिकारियों के दो वर्ग सर्जित किए जैसा कि धारा 117 के वर्तमान संशोधन से पूर्व इसके उपबंधों से स्पष्ट है। संशोधन के पश्चात् भी उक्त अंतर बना रहा। यह तथ्य कि यह अंतर सदैव वास्तविक रहा है और नाममात्र नहीं है, अधिकारियों के दोनों वर्गों में कानूनी रूप में निहित शक्ति और अधिकारिता के अंतर से स्पष्ट है। अतएव, विधानमंडल का विभिन्न प्रकार के कार्य का निर्वहन करने का आशय प्रकट है और व्यवहार में यह अंतर सदैव बनाए रखा गया है। केवल तभी जब कार्य का अत्यावश्यकताओं के लिए यह अपेक्षित था कि ग्रुप-ख से संबंधित कुछ अधिकारियों को तदर्थ आधार पर ग्रुप-क के अधिकारियों के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया था। ऐसी अत्यावश्यकताएं प्रत्येक संगठन में घटित होती हैं और इनसे निपटने के लिए प्राधिकारियों को तात्कालिक प्रबंध करने पड़ते हैं। तथापि, इससे दो असमान पदों को समान नहीं बनाया जा सकता है।

42. अधिकारियों के इन दो वर्गों को समान बनाने की वैसी ही दलील उपर्युक्त **के० एम० बक्शी बनाम भारत संघ**[1] वाले मामले में दी गई थी। इस न्यायालय द्वारा उस मामले में यह कहा गया कि आय-कर सेवाओं का पुनर्गठन भारत सरकार के तारीख 29 सितंबर, 1944 के आदेश द्वारा किया गया था और बाद में 1953 में आय-कर अधि-

1 ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 1139.

1990(3) eILR(PAT) SC 24

नियम की धारा 5 में इस पुनर्गठन को प्रभावी बनाने के लिए संशोधन किया गया था। इस पुनर्गठन की एक विशिष्टता यह थी कि आय-कर अधिकारियों के एक वर्ग के स्थान पर दो वर्ग, अर्थात्, आय-कर अधिकारियों का वर्ग-1 और वर्ग-2 अस्तित्व में आए। वर्ग-1 अधिकारी आयुक्तों और सहायक आयुक्तों के उच्चतर पद पर प्रोन्नत किए जाने के पात्र थे, और वर्ग-2 अधिकारी इस प्रोन्नति को पहले वर्ग-1 के अधिकारियों की हैसियत पर पहुंचने के पश्चात् ही प्राप्त कर सकते थे। वर्ग-1 अधिकारियों के पदों की रिक्तियों का कुछ प्रतिशत वर्ग-2 अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा भरा जाना था, और शेष सीधी भर्ती द्वारा। यह भी बताया गया कि वर्ग-1 के पद के वर्ग-2 अधिकारियों के लिए प्रोन्नति का पद होने के कारण दोनों पद समान नहीं थे। समान कार्य के लिए समान वेतन की दलील पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि इस दलील को अक्षरशः स्वीकार किया जाए, तो नियत किए गए वेतन वृद्धि संबंधी वेतनमान जो किसी अधिकारी की सेवा की कालावधि पर निर्भर करते थे, न्यायोचित नहीं ठहराए जा सकते थे। यह प्रकट है कि उस मामले में न्यायालय से इस विनम्र प्राख्यान के साथ विचार करने का अनुरोध किया गया कि दोनों पद समान थे और यह दलील नहीं दी गई कि उनके द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्य और कृत्य समान प्रकृति के थे और इसलिए, न्यायालय को उक्त दलील पर विचार करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। हम ऊपर यह पहले ही कह चुके हैं कि अंतर को न्यायोचित ठहराते हुए दो अधिकारियों को सौंपे गए कर्तव्यों की प्रकृति, व्याप्ति और उत्तरदायित्व में अंतर है। इस तथ्य के अलावा कि मामला अब उन नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों और आदेशों द्वारा तय हो चुका है जो दोनों के कृत्यों और अधिकारिता को स्पष्ट रूप में अभ्यंकित करते हुए जारी किए गए।

43. जैसा कि **फेडरेशन आफ आल इंडिया कसटम्स एंड सेंट्रल एक्साइज स्टेनोग्राफर्स (मान्यताप्राप्त) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि दोनों वर्गों में अंतर···"किए गए कार्य की प्रकृति और प्रकार के आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है···" एक ही जैसे शारीरिक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की कार्य गुणवत्ता, कुछ अधिक संवेदनशीलता, जिसमें कुछ के लिए अधिक कार्यकौशल अपेक्षित है और कुछ के लिए कम—यह नियोजन की प्रकृति और संस्कृति से भिन्न है। समान वेतन से संबंधित समस्या सदैव गणितीय सूत्र में साकार नहीं की जा सकती है। इसका ईप्सित उद्देश्य के साथ युक्तियुक्त संबंध है···उन प्रशासनिक प्राधिकारियों को जिन्हें वेतन-मान नियत करने के लिए प्रभारित किया गया है, कतिपय प्रकार का मूल्य निर्णय भी प्रदान किया गया है और इसमें न्यायालय द्वारा उस समय तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह प्रदर्शित न हो कि या तो यह अयुक्तिसंगत है अथवा किसी भी आधार पर आधारित नहीं है अथवा किसी भी आधार पर विधि या तथ्य की दृष्टि में असद्भाविक रूप में निकाला गया।" न्यायालय ने इसमें यह निष्कर्ष निकाला कि किए गए प्रकथनों और स्पष्ट किए गए तथ्यों के प्रकाश में, यह कहना संभव नहीं था कि इसमें अंतर प्राप्त किए जाने के लिए ईप्सित उद्देश्य से किसी प्रकार के युक्तिसंगत संबंध पर आधारित नहीं था। न्यायालय ने यह टिप्पण किया कि अंतर उत्तरदायित्व की भिन्नता, विश्वसनीयता और जनता आदि के साथ संबंध के आधार पर न्यायोचित था यद्यपि क्रियात्मक कार्य में समरूपता

[1] (1980) 3 एस० सी० सी० 91.

थी । न्यायालय ने आगे यह भी मताभिव्यक्ति की कि प्रायः कृत्यों और उत्तरदायित्वों में का अंतर कोटि का मामला है और प्रशासन से पदों का वर्गीकरण करते समय और उनके लिए सेवा की विभिन्न शर्तें नियत करते समय मूल्य निर्णय करने की अपेक्षा की जाती है । जब तक मूल्य निर्णय सद्भाविक रूप में किया जाए, इसे आक्षेपित नहीं किया जा सकता है । इसी प्रकार का विचार इस न्यायालय द्वारा **वी० मार्कण्डेय और अन्य** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में व्यक्त किया गया है ।

44. पुनरावृत्ति करते हुए, हम यह कह सकते हैं कि प्रस्तुत मामले में दोनों पदों के मध्य अंतर स्वयं कानून द्वारा किया गया है और यह अंतर काफी समय से विद्यमान है । दोनों पदों के नियुक्ति प्राधिकारी भिन्न हैं । वास्तव में, ग्रुप-क पद (सहायक आयुक्तों के वर्तमान पद) के दो ग्रेड हैं अर्थात्, ग्रेड-1 और ग्रेड-2, और ग्रेड-2 का पद ग्रुप-ख (वर्तमान आय-कर अधिकारी) से संबंधित अधिकारियों के लिए प्रोन्नति संबंधी पद था । दोनों वर्गों के पदों को सौंपे गए कार्य की प्रकृति और उत्तरदायित्व जो इनसे जुड़ा है और इनमें निहित अधिकारिता भिन्न-भिन्न हैं । मात्र यह तथ्य कि कुछ ग्रुप-ख अधिकारी ग्रुप-क के अधिकारियों का कार्य करने के लिए सक्षम हैं और वास्तव में कुछ अवसरों पर विगत में उनकी नियुक्ति ग्रुप-क अधिकारियों के कार्य का निर्वहन करने के लिए तदर्थ की गई थी अथवा अन्यथा दोनों पदों को समकक्ष नहीं बनाया जा सकता है । ऐसी मांग, कम से कम, अयुक्तिसंगत है क्योंकि यदि इस दलील को स्वीकार कर लिया जाता है, तो किसी भी संगठन में पदों के अनुक्रम को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है । आगे, 1987 के संशोधन के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन हुआ है और दोनों प्रकार के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र को स्पष्टतः अभ्यंकित करते हुए उनके कर्तव्य, कृत्य, अधिकारिता और शक्तियों को, युक्तिसंगत बना दिया गया है । इस प्रकार के संगठन में संपूर्ण देश में कार्यालयों के निर्धारितियों और आय के विभिन्न प्रवर्गों से निपटने के लिए किसी कालावधि के दौरान कुछ अस्तव्यस्तता, कार्य करने संबंधी अतिव्याप्ति और कार्य समनुदेशन में एकरूपता का अभाव अप्रत्याशित नहीं है और यह प्रकट है कि कुछ कालावधि के दौरान विभाग में स्थिति अस्तव्यस्त रही । इसीलिए अधिनियम में संशोधन करके और नियम बनाकर तथा सुसंगत अधिसूचनाएं, परिपत्र और आदेश जारी करके स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाए गए । यदि इस कालावधि के दौरान सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण ग्रुप-ख अधिकारियों की कुछ तदर्थ नियुक्तियां ग्रुप-क के पदों पर की गई, तो ग्रेड-2 या ग्रुप-ख अधिकारियों से ग्रुप-क अधिकारियों के समरूप कृत्य करने और समरूप कार्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती थी, तो ग्रुप-क के अधिकारियों की परिलब्धियों के लिए ठीक ही दावा कर सकते हैं किंतु वे निश्चित रूप में इस कारण दोनों पदों के समकरण के लिए दावा नहीं कर सकते हैं ।

45. चूंकि पदों की अभिकथित समता याचिकाओं में दी गई अन्य दलीलों का आधार थी, उक्त दलीलें भी असफल रहती हैं और इन पर अलग से विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं है । जो दलीलें पूर्व याचिका में सामान्य हैं उन पर पहले ही विचार किया जा चुका है ।

1 (1989) 3 एस० सी० सी० 191.

46. इन परिस्थितियों में, हमें इन दलीलों में कोई सार दिखाई नहीं देता है। अतएव, इन याचिकाओं को खारिज किया जाता है और प्रत्येक में मंजूर किया गया न्यादेश प्रभावोन्मुक्त किया जाता है तथा खर्चे के बारे में किसी प्रकार का आदेश नहीं किया जा रहा है।

47. इन याचिकाओं को निपटाने से पूर्व, हम यह भी मताभिव्यक्ति कर देना चाहते हैं कि यद्यपि इन सभी याचिकाओं में दी गई दलीलों को तय कर दिया गया था, याचियों ने ऐसे आधारों पर जो बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं थे, एक बार पुनः समावेदन करके न्यायालय के बहुमूल्य समय को बरबाद करना आवश्यक समझा। हमें यह आशा और विश्वास है कि इस विनिश्चय से याचियों को अभिकथित शिकायतों पर अंतिम रूप में पर्दा पड़ जाएगा और इसके पश्चात् इन्हीं दलीलों को अन्य रूप में उठाए जाने के लिए किसी प्रकार के नए बहाने नहीं ढूंढे जाएंगे।

याचिकाएं खारिज की गईं।

म०/च०